



माझगांव डॉक
शिपबिल्डर्स लिमिटेड

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

2025-2026





खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण



I. सूचीबद्ध संस्था का विवरण

1. सूचीबद्ध संस्था की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L35100MH1934GOI002079						
2. सूचीबद्ध संस्था का नाम	माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड						
3. निगमन का वर्ष	1934						
4. पंजीकृत कार्यालय का पता	डॉकयार्ड रोड, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत - 400010						
5. कॉरपोरेट कार्यालय का पता	डॉकयार्ड रोड, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत - 400010						
6. ई-मेल	investor@mazdock.com						
7. दूरभाष	+91 22 2376 2000/ 3000/ 4000						
8. वेबसाइट	https://mazagondock.in						
9. जिस वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2025-2026						
10. उस/उन स्टॉक एक्सचेंज/एक्सचेंजों का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	<table> <tr> <th>एक्सचेंज का नाम</th><th>स्टॉक कोड</th></tr> <tr> <td>एनएसई</td><td>MAZDOCK</td></tr> <tr> <td>बीएसई</td><td>543237</td></tr> </table>	एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड	एनएसई	MAZDOCK	बीएसई	543237
एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड						
एनएसई	MAZDOCK						
बीएसई	543237						
11. प्रदत्त पूंजी	रु. 2,01,69,00,000						
12. बीआरएसआर रिपोर्ट के संबंध में किसी प्रश्न की स्थिति में संपर्क किए जा सकने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (दूरभाष, ईमेल पता)	श्री ललाटेन्दु आचार्य कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी; दूरभाष सं.: 022-23762012 ईमेल आईडी: investor@mazdock.com						
13. रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण एकल आधार पर (अर्थात केवल संस्था के लिए) अथवा समेकित आधार पर (अर्थात संस्था और उसके समेकित वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी संस्थाओं को एक साथ लेकर) किए गए हैं।	इस रिपोर्ट में निहित प्रकटीकरण माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) के लिए एकल आधार पर तैयार किए गए हैं।						
14. मूल्यांकन अथवा आश्वासन प्रदाता का नाम	ब्यूरो वेरिटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड						
15. प्राप्त मूल्यांकन अथवा आश्वासन का प्रकार	युक्तियुक्त आश्वासन						

टिप्पणी:

- आंकड़ों को, जहां आवश्यक था, युक्तिसंगत बनाया गया है।
- रिपोर्ट में माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को दर्शाने के लिए हम/कंपनी/एमडीएल/माझगांव डॉक का परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किया गया है।

II. उत्पाद/सेवाएं

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार के 90% के लिए उत्तरदायी):

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	संस्था के कारोबार का %
1	विनिर्माण/निर्माण/फैब्रिकेशन	पनडुब्बियों एवं पोतों का विनिर्माण/निर्माण/फैब्रिकेशन	91.96%
2	मरम्मत गतिविधि	पनडुब्बियों एवं पोतों का मध्यम पुनर्संजीकरण एवं जीवन-प्रमाणीकरण	8.04%

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के कारोबार के 90% के लिए उत्तरदायी):

क्र. सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार में योगदान का %
1	पनडुब्बियों एवं पोतों का विनिर्माण/निर्माण/फैब्रिकेशन	301	91.96%
2	मरम्मत गतिविधि	331	8.04%



III. परिचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/अथवा परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	2	2	4
अंतरराष्ट्रीय	0	2	2

19. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

ए. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	लागू नहीं*
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	3

*कंपनी मुख्यतः भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक सहित रक्षा ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करती है। इसके परिचालनों की प्रकृति के कारण सेवित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (सेवित बाजारों) की संख्या का सार्थक रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता।

बी. संस्था के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत योगदान कितना है?

0.21%

सी. ग्राहकों के प्रकारों का संक्षिप्त विवरण

एमडीएल रक्षा क्षेत्र में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों ग्राहकों वाले विविध ग्राहक आधार को सेवाएं प्रदान करता है और साथ ही चुनिंदा असैनिक परियोजनाएं भी निष्पादित करता है। कंपनी के प्रमुख ग्राहक भारतीय रक्षा सेवाएं, मुख्यतः भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक हैं।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विवरण:

ए. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगों सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	972	896	92%	76	8%
2.	स्थायी के अतिरिक्त (ई)	9	9	100%	0	0%
3.	कुल कर्मचारी (डी+ई)	981	905	92%	76	8%
कामगार						
4.	स्थायी (एफ)	1810	1753	97%	57	3%
5.	स्थायी के अतिरिक्त (जी)	2979	2870	96%	109	4%
6.	कुल कामगार (एफ+जी)	4789	4623	97%	166	3%



बी. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	32	32	100%	0	0%
2.	स्थायी के अतिरिक्त (ई)	0	0	0%	0	0%
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (डी+ई)	32	32	100%	0	0%
दिव्यांग कामगार						
4	स्थायी (एफ)	46	44	95.65%	2	4.35%
5	स्थायी के अतिरिक्त (जी)	38	37	97.37%	1	2.63%
6	कुल दिव्यांग कामगार (एफ+जी)	84	81	96.43%	3	3.57%

21. महिलाओं की सहभागिता/समावेशन/प्रतिनिधित्व:

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		% (बी/ए)	% (बी/ए)
निदेशक मंडल	9	1	11%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक*	6	0	0%

*केएमपी में कार्यात्मक निदेशक और कंपनी सचिव शामिल हैं।

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की आवर्तन दर (पिछले 3 वर्षों की प्रवृत्तियों का प्रकटीकरण करें)

	वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवर्तन दर)			वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष में आवर्तन दर)			वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष से पूर्व के वर्ष में आवर्तन दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	0.89	0.00	0.82	0.64	1.38	0.73	1.37	5.80	1.70
स्थायी कामगार	0.12	0.00	0.11	0.17	4.00	0.28	0.05	0.00	0.05

V. नियंत्रक, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

23. (ए) नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम

क्र. सं.	नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (ए)	बताएं कि नियंत्रक/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई संस्था सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हां/नहीं)
1	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	सहयोगी	47.21%	नहीं
2	कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी (कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज, श्रीलंका में सूचीबद्ध कंपनी) ("सीडीपीएलसी")	सहायक	51%	नहीं
3	डॉकयार्ड जनरल इंजीनियरिंग सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, कोलंबो, श्रीलंका	सहायक*	0%	नहीं
4	सीलोन शिपिंग एजेंसी (प्राइवेट) लिमिटेड, सिंगापुर	सहायक*	0%	नहीं
5	डॉकयार्ड टोटल सॉल्यूशन (प्राइवेट) लिमिटेड, कोलंबो, श्रीलंका	सहायक*	0%	नहीं

* अधीनस्थ सहायक कंपनियां

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या धारा 135, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां/नहीं) हां
(ii) कारोबार (रु. में) 12,83,964 लाख
(iii) निवल मूल्य (रु. में) 8,84,316 लाख



VII. पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण अनुपालन

25. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवेदन:

वह हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई	क्या शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति का वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2025- 26 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2024- 25 पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हां https://mazagondock.in/English/Forms/PublicGrievance	1	0	शिकायतों का तत्परता से समाधान किया गया	6	0	शिकायतों का तत्परता से समाधान किया गया
निवेशक (शेयरधारकों के अतिरिक्त)	-	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
शेयरधारक	हां https://mazagondock.in/images/pdf/Introduction%20of%20Online%20Dispute%20Resolution%20Portal%20by%20SEBI.pdf	8	1	शिकायतों का तत्परता से समाधान किया गया	6	0	शिकायतों का तत्परता से समाधान किया गया
कर्मचारी और कामगार	हां https://mazagondock.in/images/pdf/Process-of-Redress-of-Grievance.pdf	13	0	शिकायतों का तत्परता से समाधान किया गया	7	0	शिकायतों का तत्परता से समाधान किया गया
ग्राहक	हां*	भारतीय नौसेना से प्राप्त सभी ग्राहक चिंताओं और परिचालन संबंधी प्रतिक्रियाओं की स्थापित अभिशासन मंचों के माध्यम से समीक्षा की जाती है, जिनमें युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक (सीडब्ल्यूपीएंडए) की अध्यक्षता में आयोजित कार्य-स्तरीय बैठकें और संयुक्त परियोजना समीक्षा बैठकें शामिल हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के लिए निष्पादित रक्षा परियोजनाओं की रणनीतिक एवं गोपनीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ग्राहक शिकायतों से संबंधित विवरण सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकट नहीं किए जाते।					
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हां https://mazagondock.in/English/Forms/PublicGrievance	10	0	शिकायतों का तत्परता से समाधान किया गया	13	0	शिकायतों का तत्परता से समाधान किया गया
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

*चूंकि एमडीएल मुख्यतः रक्षा और निर्यात ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करता है, इसलिए ग्राहकों के साथ सभी संचार और परियोजना-संबंधी परस्पर क्रियाएं संबंधित ग्राहकों द्वारा निर्धारित संविदात्मक अपेक्षाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित एवं गोपनीय माध्यमों से की जाती हैं। फलस्वरूप, ऐसी जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। ग्राहक चिंताओं और परियोजना-संबंधी मुद्दों की, जहां लागू हो, ग्राहकों के साथ संरचित सहभागिता तंत्रों और आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से समीक्षा की जाती है।



26. कृपया पर्यावरणीय एवं सामाजिक विषयों से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण और स्थिरता संबंधी मुद्दों को दर्शाएं जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम अथवा अवसर प्रस्तुत करते हैं, उन्हें चिह्नित करने का औचित्य, जोखिम के अनुकूल होने अथवा उसे कम करने का दृष्टिकोण तथा उसके वित्तीय प्रभाव निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बताएं।

क्र. सं.	पहचाना गया महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि यह जोखिम अथवा अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर को चिह्नित करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूल होने अथवा उसे कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय प्रभाव (बताएं कि प्रभाव सकारात्मक हैं अथवा नकारात्मक)
1	अपशिष्ट प्रबंधन 	जोखिम और अवसर	पोत-निर्माण गतिविधियों से धातु स्क्रेप, प्लास्टिक अपशिष्ट और अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं, जिनका उत्तरदायित्वपूर्ण प्रबंधन आवश्यक है। अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन के परिणामस्वरूप विनियामकीय गैर-अनुपालन, पर्यावरणीय देयताएं, परिचालन संबंधी व्यवधान और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।	एमडीएल एक संरचित अपशिष्ट प्रबंधन ढांचे का पालन करता है, जिसमें पृथक्करण, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और प्राधिकृत पुनर्चक्रकों तथा अनुमोदित निपटान तंत्रों के माध्यम से पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त निपटान शामिल हैं, जिससे संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पद्धतियों को बढ़ावा मिलता है।	नकारात्मक: अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन के परिणामस्वरूप विनियामकीय दंड, सुधारात्मक लागत, परिचालन संबंधी व्यवधान और प्रतिष्ठा को क्षति हो सकती है, जिससे वित्तीय निष्पादन और व्यवसाय निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सकारात्मक: पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत परिचालनों के दौरान उत्पन्न खतरनाक तथा गैर-खतरनाक अपशिष्ट में कमी, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निपटान के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने की कंपनी की क्षमता के कारण अपशिष्ट प्रबंधन को एक सकारात्मक महत्वपूर्ण विषय के रूप में चिह्नित किया गया है। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन संसाधन दक्षता, विनियामकीय अनुपालन, प्रदूषण निवारण, चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों और कंपनी के ईएसजी निष्पादन को सुदृढ़ करने में सहायक है।



क्र. सं.	पहचाना गया महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि यह जोखिम अथवा अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर को चिह्नित करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूल होने अथवा उसे कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय प्रभाव (बताएं कि प्रभाव सकारात्मक हैं अथवा नकारात्मक)
2	ऊर्जा प्रबंधन 	जोखिम और अवसर	एमडीएल के पोत-निर्माण और विनिर्माण परिचालन ऊर्जा-गहन हैं तथा क्रय की गई विद्युत और परंपरागत ईंधनों पर काफी निर्भर हैं। इससे कंपनी ऊर्जा मूल्यों में उतार-चढ़ाव, विकसित हो रहे पर्यावरणीय विनियमों और कार्बन-संबंधी बढ़ती अनुपालन अपेक्षाओं के संपर्क में आती है। परिचालन जोखिमों को कम करने, संसाधन दक्षता बढ़ाने और दीर्घकालिक लागत प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा खपत का प्रबंधन तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है।	एमडीएल इन्वर्टर-आधारित वेल्डिंग मशीनों, बीएलडीसी पंपों, एलईडी प्रकाश व्यवस्था, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) और 5-स्टार रेटेड एयर कंडीशनर सहित ऊर्जा-दक्ष उपकरणों की तैनाती के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में निरंतर वृद्धि कर रहा है। कंपनी ने हरित विद्युत की खरीद भी आरंभ की है और 1,375 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु विद्युत क्रय करार (पीपीए) किया है, ताकि 50% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।	नकारात्मक: ऊर्जा का अकुशल उपयोग और विकसित हो रहे कार्बन विनियम परिचालन लागत बढ़ा सकते हैं, लाभ मार्जिन घटा सकते हैं और अनुपालन तथा ऊर्जा संक्रमण के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश आवश्यक बना सकते हैं। सकारात्मक: ऊर्जा दक्षता में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने से परिचालन लागत घट सकती है, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम हो सकता है, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ सकती है तथा कम-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर भारत के संक्रमण में सहायता मिल सकती है।



क्र. सं.	पहचाना गया महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि यह जोखिम अथवा अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर को चिह्नित करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूल होने अथवा उसे कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय प्रभाव (बताएं कि प्रभाव सकारात्मक हैं अथवा नकारात्मक)
3	कर्मचारी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 	जोखिम	पोत-निर्माण परिचालनों में भारी उपकरणों, सीमित स्थानों और खतरनाक कार्य परिवेशों के संपर्क में आना शामिल है। कार्यस्थल की घटनाओं के परिणामस्वरूप चोटें, परिचालन संबंधी व्यवधान, बढी हुई लागत और विनियामकीय देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं।	एमडीएल एक सुदृढ़ व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओएचएस) ढांचा बनाए रखता है, जिसमें कार्यस्थल के जोखिमों को सक्रिय रूप से चिह्नित करने और कम करने के लिए नियमित कार्यस्थल निरीक्षण, संरचित सुरक्षा प्रशिक्षण, कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम और औपचारिक कार्य परमिट प्रणाली शामिल हैं। कंपनी का चिकित्सा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग आवधिक स्वास्थ्य जागरूकता पहलों के माध्यम से कर्मचारी कल्याण को बढावा देता है, जबकि जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन प्राधिकृत निपटान एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। सुरक्षा ढांचे को नियमित सुरक्षा लेखा-परीक्षाओं, घटना रिपोर्टिंग एवं जांच, निवारक उपकरण रखरखाव, उच्च गृह-व्यवस्था मानकों, सुरक्षा संकेतकों, कर्मचारी मान्यता कार्यक्रमों तथा कर्मचारियों और ठेकेदारों के साथ निरंतर सहभागिता के माध्यम से और सुदृढ़ किया जाता है, जिससे सुरक्षा एवं परिचालन उत्कृष्टता की सशक्त संस्कृति को बढावा मिलता है।	नकारात्मक: कर्मचारी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को एक नकारात्मक सारवान विषय के रूप में चिह्नित किया गया है क्योंकि पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत परिचालनों की प्रकृति कर्मचारियों और ठेकेदारों को महत्वपूर्ण व्यावसायिक खतरों के संपर्क में लाती है। कार्यस्थल के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन न होने पर चोटें, व्यावसायिक रोग, मृत्यु, परिचालन संबंधी व्यवधान, विनियामकीय गैर-अनुपालन, वित्तीय हानि और प्रतिष्ठा को क्षति हो सकती है। पोत-निर्माण और रक्षा विनिर्माण परिवेश में अंतर्निहित परिचालन जोखिम इसे अत्यधिक सारवान विषय बनाते हैं।



क्र. सं.	पहचाना गया महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि यह जोखिम अथवा अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर को चिह्नित करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूल होने अथवा उसे कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय प्रभाव (बताएं कि प्रभाव सकारात्मक हैं अथवा नकारात्मक)
4	डेटा सुरक्षा 	जोखिम	रणनीतिक रक्षा कार्यक्रमों में एमडीएल की भागीदारी और संवेदनशील जानकारी का प्रबंधन कंपनी को विकसित हो रहे साइबर खतरों के संपर्क में लाते हैं। साइबर सुरक्षा घटनाओं के परिणामस्वरूप परिचालन संबंधी व्यवधान, वित्तीय हानि, विनियामकीय कार्रवाई और प्रतिष्ठा को क्षति हो सकती है, जिससे प्रभावी साइबर जोखिम प्रबंधन व्यवसाय की प्रत्यास्थता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।	एमडीएल ने एक व्यापक साइबर सुरक्षा नीति द्वारा समर्थित और लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप सुदृढ़ साइबर सुरक्षा अभिशासन ढांचा स्थापित किया है। कंपनी नियमित भेद्यता मूल्यांकन एवं पैठ परीक्षण (वीएपीटी), साइबर सुरक्षा समूह-रक्षा उत्पादन विभाग (सीएसजी-डीडीपी), सर्ट-इन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और अन्य विनियामकीय प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों द्वारा जारी साइबर सुरक्षा परामर्शों की सतत निगरानी तथा आवधिक कर्मचारी जागरूकता पहलों के माध्यम से अपनी साइबर प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करती है। सीएसजी-डीडीपी को नियमित रिपोर्टिंग और सुधारात्मक उपायों का सक्रिय कार्यान्वयन विकसित हो रहे साइबर खतरों के विरुद्ध कंपनी की तैयारी को और बढ़ाते हैं।	नकारात्मक: डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को नकारात्मक महत्वपूर्ण विषयों के रूप में चिह्नित किया गया है क्योंकि गोपनीय जानकारी, महत्वपूर्ण डिजिटल अवसरचना अथवा परिचालन प्रणालियों से किसी भी प्रकार का समझौता महत्वपूर्ण परिचालन व्यवधान, वित्तीय हानि, विनियामकीय गैर-अनुपालन, बौद्धिक संपदा की चोरी, प्रतिष्ठा को क्षति और संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। रक्षा पोत-निर्माता के रूप में एमडीएल नौसैनिक पोतों, इंजीनियरिंग डिजाइनों, खरीद, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों और सरकारी संविदाओं से संबंधित अत्यंत गोपनीय जानकारी संभालता है, जिससे डेटा सुरक्षा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय बनती है।



क्र. सं.	पहचाना गया महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि यह जोखिम अथवा अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर को चिह्नित करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूल होने अथवा उसे कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय प्रभाव (बताएं कि प्रभाव सकारात्मक हैं अथवा नकारात्मक)
5	सामग्री स्रोत-निर्धारण 	जोखिम और अवसर	विशिष्ट कच्चे माल और महत्वपूर्ण घटकों पर निर्भरता कंपनी को आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मूल्यों में उतार-चढ़ाव तथा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के संपर्क में लाती है, जिससे परियोजना निष्पादन और वित्तीय निष्पादन पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।	एमडीएल विश्वसनीय स्रोतों से गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक स्रोत-निर्धारण, आपूर्तिकर्ता विविधीकरण और कठोर विक्रेता मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला की प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करता है। ये उपाय आपूर्ति में व्यवधान, कच्चे माल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव और खरीद संबंधी अनिश्चितताओं से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायता करते हैं, जिससे परिचालन निरंतरता और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को समर्थन मिलता है।	नकारात्मक: आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कच्चे माल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव खरीद लागत बढ़ा सकते हैं, परियोजना निष्पादन में विलंब कर सकते हैं, संविदा पूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं और लाभप्रदता घटा सकते हैं। सकारात्मक: सामग्री स्रोत-निर्धारण एक सकारात्मक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि कच्चे माल और घटकों का उत्तरदायित्वपूर्ण स्रोत-निर्धारण परिचालन प्रत्यास्थता, उत्पाद गुणवत्ता, आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता, पर्यावरणीय निष्पादन तथा रक्षा खरीद अपेक्षाओं के अनुपालन में सुधार करता है। चूंकि पोत-निर्माण विशिष्ट सामग्रियों और दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ता संबंधों पर अत्यधिक निर्भर है, इसलिए सामग्री स्रोत-निर्धारण कंपनी और उसके हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करता है।



क्र. सं.	पहचाना गया महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि यह जोखिम अथवा अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर को चिह्नित करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूल होने अथवा उसे कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय प्रभाव (बताएं कि प्रभाव सकारात्मक हैं अथवा नकारात्मक)
6	उत्पाद गुणवत्ता एवं सुरक्षा 	जोखिम	उत्पाद गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के उच्चतम मानक बनाए रखना एमडीएल के रक्षा परिचालनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां किसी भी उत्पाद की विफलता के वित्तीय, परिचालन संबंधी और प्रतिष्ठा संबंधी परिणाम हो सकते हैं, वहीं निरंतर उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पाद प्रदान करना ग्राहक विश्वास को सुदृढ़ करता है, प्रतिस्पर्धी स्थिति को बेहतर बनाता है और दीर्घकालिक व्यवसाय वृद्धि में सहायता करता है।	एमडीएल कठोर डिजाइन सत्यापन, सख्त आपूर्तिकर्ता अर्हता, व्यापक गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं और निरंतर ग्राहक सहभागिता के माध्यम से सुदृढ़ उत्पाद गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानक बनाए रखता है। रखरखाव सहायता और उत्पाद-संबंधी घटनाओं की जांच सहित सुपुर्दगी-पश्चात सहायता उत्पाद की विश्वसनीयता को और सुदृढ़ करती है, व्यवसाय जोखिम न्यूनतम करती है और ग्राहक विश्वास को पुष्ट करती है।	नकारात्मक: उत्पाद गुणवत्ता संबंधी विफलताओं के परिणामस्वरूप संविदात्मक दंड, वारंटी एवं सुधार लागत, परियोजना विलंब, भावी आदेशों की हानि और प्रतिष्ठा को क्षति हो सकती है, जिससे राजस्व और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। “नकारात्मक” वर्गीकरण उन संभावित प्रतिकूल प्रभावों को दर्शाता है जो गुणवत्ता एवं सुरक्षा जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन न होने पर उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां, परीक्षण, निरीक्षण और निरंतर सुधार पहलें उन जोखिमों को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र हैं।

क्र. सं.	पहचाना गया महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि यह जोखिम अथवा अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर को चिह्नित करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूल होने अथवा उसे कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय प्रभाव (बताएं कि प्रभाव सकारात्मक हैं अथवा नकारात्मक)
7	पुनर्विनिर्माण डिजाइन एवं सेवाएं 	अवसर	पुनर्विनिर्माण और नवीनीकरण क्षमताओं के विस्तार से संसाधन दक्षता में सुधार हो सकता है, सामग्री की खपत घट सकती है, उत्पाद जीवन-चक्र बढ़ सकते हैं और अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर सृजित हो सकते हैं।	-	सकारात्मक: पुनर्विनिर्माण को अपनाने से मरम्मत, नवीनीकरण, रेट्रोफिटिंग, आधुनिकीकरण और जीवन-विस्तार सेवाओं के माध्यम से पोतों, पनडुब्बियों और महत्वपूर्ण उपकरणों का जीवन बढ़ाकर चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समर्थन मिलता है। रक्षा पोत-निर्माता के लिए ये गतिविधियां ग्राहक संबंधों को सुदृढ़ करते हुए पर्यावरणीय, परिचालन संबंधी और आर्थिक मूल्य सृजित करती हैं।
8	उपयोग-चरण में ईंधन दक्षता एवं उत्सर्जन 	अवसर	कार्बन-मुक्ति और स्थायी रक्षा समाधानों पर बढ़ता ध्यान एमडीएल के लिए ऊर्जा-दक्ष, कम-उत्सर्जन वाले पोत और समुद्री प्लेटफॉर्म विकसित करने का अवसर प्रस्तुत करता है। उत्पाद डिजाइन और प्रौद्योगिकी में प्रगति विनियामकीय तत्परता बढ़ा सकती है, बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ़ कर सकती है और स्थायी नवाचार के माध्यम से दीर्घकालिक मूल्य सृजित कर सकती है।	-	सकारात्मक: ऊर्जा-दक्ष और कम-उत्सर्जन वाले पोत विकसित करने से बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है, ग्राहक वरीयता सुदृढ़ हो सकती है, उभरते स्थायी खरीद अवसरों तक पहुंच बेहतर हो सकती है और ग्राहकों के जीवन-चक्र परिचालन खर्च घटाते हुए दीर्घकालिक राजस्व वृद्धि को गति मिल सकती है।



क्र. सं.	पहचाना गया महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि यह जोखिम अथवा अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर को चिह्नित करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूल होने अथवा उसे कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय प्रभाव (बताएं कि प्रभाव सकारात्मक हैं अथवा नकारात्मक)
9	व्यावसायिक नैतिकता 	जोखिम	एमडीएल के परिचालन रक्षा क्षेत्र को शासित करने वाली कठोर विनियामकीय और नैतिक अपेक्षाओं के अधीन हैं। लागू विधियों का गैर-अनुपालन अथवा चूक कंपनी को कानूनी देयताओं, वित्तीय हानि, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों और परिचालन संबंधी व्यवधानों के संपर्क में ला सकती है।	कंपनी सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रणों, नैतिक नीतियों, अनुपालन निगरानी तथा निदेशक मंडल और संबंधित समितियों द्वारा आवधिक पर्यवेक्षण से समर्थित व्यापक अभिशासन ढांचे के माध्यम से व्यावसायिक नैतिकता संबंधी जोखिमों को कम करती है। यह ढांचा पारदर्शिता, जवाबदेही और लागू विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुपालन को बढ़ावा देता है।	नकारात्मक: नैतिक और विनियामकीय अपेक्षाओं के गैर-अनुपालन से वित्तीय दंड, कानूनी लागत, संविदात्मक प्रतिबंध, प्रतिष्ठा को क्षति और हितधारकों के विश्वास में कमी हो सकती है, जिससे दीर्घकालिक व्यवसाय वृद्धि प्रभावित हो सकती है।

**खंड बी: प्रबंधन एवं प्रक्रिया संबंधी प्रकटीकरण**

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी के सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
नीति एवं प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को समाहित करती हैं। (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
बी क्या नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नहीं)	हां, सभी लागू नीतियों को प्रत्यायोजित प्राधिकार मैट्रिक्स के अनुरूप निदेशक मंडल अथवा संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है।								
सी नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	https://mazagondock.in/English/pages/Policies								

क्र. सं.	नीति का नाम	नीति का लिंक	प्रत्येक नीति किन सिद्धांतों के अंतर्गत आती है
1	स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण नीति	https://mazagondock.in/images/pdf/H_S_E_M_S_POLICY.pdf	P2, P3, P6
2	लाभांश वितरण नीति	https://mazagondock.in/images/pdf/Dividend-Distribution-Policy-19052022.pdf	P3, P4
3	शिकायत निवारण की प्रक्रिया	https://mazagondock.in/images/pdf/Process-of-Redress-of-Grievance.pdf	P3, P5, P9
4	निदेशक मंडल के सदस्यों हेतु व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता	https://mazagondock.in/images/pdf/mdl-code-of-conduct-for-director-and-senior-mngt.pdf	P1
5	घटना के प्रकटीकरण हेतु महत्वपूर्ण संबंधी नीति	https://mazagondock.in/images/pdf/Materiality_policy_on_stock_exchange_disclosure_updated_29022024.pdf	P1, P4, P7
6	सीएसआर नीति	https://mazagondock.in/images/pdf/CSR_Policy_of_MDL_07082023%20(1).pdf	P4, P8
7	स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम	https://mazagondock.in/images/pdf/mdl-familiarisation-programme-for-ind-directors.pdf	P1
8	दस्तावेज संरक्षण एवं अभिलेखीकरण नीति	https://mazagondock.in/images/pdf/mdl-policy-on-preservation-of-documents.pdf	P1
09	संबंधित पक्ष लेन-देन नीति	https://mazagondock.in/images/pdf/related-party-transaction-policy.pdf	P1, P4, P7
10	भेदिया कारोबार के निषेध हेतु आचार संहिता	https://mazagondock.in/images/pdf/Code%20of%20Conduct%20for%20Prohibition%20of%20Insider%20Trading%20in%20dealing%20with%20the%20MDL%20Securities_27032025.pdf	P1
11	व्हिसल ब्लोअर नीति	https://mazagondock.in/images/pdf/whistle-blower-policy.pdf	P1
12	समान अवसर नीति	https://mazagondock.in/images/pdf/Equal%20Opportunity%20Policy%20for%20Persons%20with%20Benchmark%20Disabilities_20072026.pdf	P3, P5

ऊपर प्रकट की गई नीतियों के अतिरिक्त कंपनी ने आईटी नीति सहित अन्य आंतरिक नीतियां लागू की हैं, जो कंपनी के इंटरनेट के माध्यम से सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती हैं।



2.	क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में रूपांतरित किया है। (हां/नहीं)	हां हां हां हां हां हां हां हां हां
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं? (हां/नहीं)	यद्यपि कंपनी की नीतियां वर्तमान में उसके मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर लागू नहीं होतीं, तथापि एमडीएल से संबद्ध सभी विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लिए क्रय नियमावली तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित खरीद ढांचे के अनुसार कार्य करना आवश्यक है।
4.	आपकी संस्था द्वारा अपनाई गई और प्रत्येक सिद्धांत से संबद्ध राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संहिताओं/प्रमाणनों/लेबलों/मानकों (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) तथा मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएस, आईएसओ, बीआईएस) के नाम।	• कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित अभिशासन ढांचे तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करती है। ये ढांचे एमडीएल को अपने व्यावसायिक परिचालनों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्च मानक बनाए रखने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। (P1) • एमडीएल ने एकीकृत स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (एचएसईएमएस) लागू की है, जो आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 से प्रमाणित है तथा पर्यावरण प्रबंधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और परिचालन पद्धतियों के निरंतर सुधार के प्रति संरचित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। (P2, P6) • कंपनी की परिचालन उत्कृष्टता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रबंधन प्रणालियों का समर्थन प्राप्त है; इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 9001:2015 से प्रमाणित है और इसकी सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आईएसओ/आईईसी 27001:2022 के अनुरूप है। (P1, P3, P5, P9) • भारत के रक्षा विनिर्माण परिदृश्य में रणनीतिक योगदानकर्ता के रूप में एमडीएल स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एमएसएमई सहित निजी उद्यमों के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी करता है। कंपनी जीईएम जैसे सरकार-प्रेरित प्लेटफॉर्मों और सृजन पोर्टल के माध्यम से मेक इन इंडिया आंदोलन द्वारा घरेलू विक्रेताओं की भागीदारी को सुगम बनाती है तथा आत्मनिर्भरता बढ़ाने और घरेलू औद्योगिक पारितंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य वाली राष्ट्रीय पहलों का समर्थन करती है। (P8)
5.	परिभाषित समय-सीमाओं सहित संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और उद्देश्य, यदि कोई हों।	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने और अपने कार्बन फुटप्रिंट को घटाने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (रेस्को) मॉडल के अंतर्गत 1,375 किलोवाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, एमडीएल ने बड़े और अधिक उन्नत पोतों के निर्माण की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए न्हावा यार्ड को ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के रूप में विकसित करना आरंभ किया है। परियोजना वर्तमान में प्रगति पर है और यह परिचालन क्षमताओं के विस्तार के साथ-साथ स्थायी अवसंरचना को एकीकृत करने तथा कंपनी के पर्यावरणीय और व्यवसाय वृद्धि उद्देश्यों को समर्थन देने के उद्देश्य से किया गया प्रमुख दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश है।



6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संस्था का निष्पादन तथा उनके पूरा न होने की स्थिति में कारण।
- (ए) हरित टैरिफ विद्युत की खरीद नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के प्रति कंपनी की दृढ़ प्रतिबद्धता दर्शाती है।
- (बी) माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने 1,375 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) किया है। 750 किलोवाट के सौर पैनलों की स्थापना प्रगति पर है। यह पहल नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने, स्कोप 2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने, ऊर्जा दक्षता सुधारने और भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को समर्थन देने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता दर्शाती है।
- (सी) पोत-निर्माण क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक, स्थायी और पर्यावरण की दृष्टि से उत्तरदायित्वपूर्ण अवसंरचना को एकीकृत करने के उद्देश्य से एमडीएल के न्हावा यार्ड का ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के रूप में विकास वर्तमान में प्रगति पर है।

अभिशासन, नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण

7. व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियां, लक्ष्य और उपलब्धियां रेखांकित हों (सूचीबद्ध संस्था को इस प्रकटीकरण के स्थान-निर्धारण में लचीलापन है)
- माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) में स्थिरता हमारे कॉरपोरेट दर्शन में गहराई से समाहित है और हमारी दीर्घकालिक वृद्धि रणनीति का प्रमुख स्तंभ है। भारत के अग्रणी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से एक के रूप में हम अपनी व्यवसाय रणनीति, परिचालनों और निर्णय-प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) सिद्धांतों को एकीकृत करके स्थायी मूल्य सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे प्रयास आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप हैं।
- स्थायी वृद्धि की अपनी रणनीतिक परिकल्पना के भाग के रूप में हम वाणिज्यिक पोत-निर्माण, अपतटीय इंजीनियरिंग, पोत-मरम्मत एवं पुनर्संजीकरण, जीवन-चक्र सहायता सेवाओं और निर्यात बाजारों में अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करके अपने व्यवसाय का विविधीकरण जारी रखे हुए हैं। यह विविधीकरण हमारी परिचालन प्रत्यास्थता बढ़ाता है, हमारे राजस्व आधार का विस्तार करता है और कंपनी को वैश्विक समुद्री एवं रक्षा क्षेत्रों में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार करता है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हमने अपने सभी व्यावसायिक कार्यों में ईएसजी पहलुओं को समाहित करके अपनी स्थिरता यात्रा को और आगे बढ़ाया। हमारी पर्यावरणीय पहलें ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, उत्तरदायित्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन और जलवायु-सचेत परिचालन पद्धतियों के माध्यम से संसाधन दक्षता सुधारने पर केंद्रित रहीं। विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (रेस्को) मॉडल के अंतर्गत 1,375 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की नियोजित स्थापना और न्हावा यार्ड का ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के रूप में विकास स्थायी अवसंरचना तथा कम-कार्बन भविष्य की ओर संक्रमण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
- सामाजिक मोर्चे पर हमने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, कौशल विकास, स्वच्छता और महिला सशक्तीकरण संबंधी पहलों के माध्यम से अपने हितधारकों के लिए सार्थक मूल्य सृजित करना जारी रखा। हमने अपने खरीद पारितंत्र में महिला-नेतृत्व वाले और एससी/एसटी-स्वामित्व वाले उद्यमों सहित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की भागीदारी को बढ़ावा देकर समावेशी और न्यायसंगत वृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ किया। हमारे कर्मचारियों का स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण और व्यावसायिक विकास हमारी जन-रणनीति के केंद्र में बने हुए हैं, जिससे हम सुरक्षित, विविध, समावेशी और उच्च-निष्पादन वाला कार्यस्थल विकसित कर सकें।
- सुदृढ़ कॉरपोरेट अभिशासन हमारे व्यवसाय की आधारशिला बना हुआ है। हम मजबूत अभिशासन ढांचों, प्रभावी जोखिम प्रबंधन, समुचित आंतरिक नियंत्रणों और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक पद्धतियों के माध्यम से नैतिकता, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा विनियामकीय अनुपालन के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ये सिद्धांत हितधारकों के विश्वास को पुष्ट करते हैं और कंपनी की दीर्घकालिक स्थायी वृद्धि में सहायता करते हैं।
- भविष्य की ओर देखते हुए हम अपने ईएसजी ढांचे को निरंतर सुदृढ़ करेंगे, नवाचार और डिजिटल रूपांतरण को अपनाएंगे तथा एक प्रत्यास्थ, उत्तरदायित्वपूर्ण और भविष्य के लिए तैयार संगठन बनाने हेतु अपने हितधारकों के साथ निकटता से सहयोग करेंगे। जहां हमारी उपलब्धियां हमारे द्वारा डिजाइन और सुपुर्द किए जाने वाले विश्व-स्तरीय रक्षा प्लेटफॉर्मों में परिलक्षित होती हैं, वहीं हमारी चिरस्थायी विरासत हमारे ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों, पर्यावरण और राष्ट्र के लिए सृजित स्थायी मूल्य से परिभाषित होगी।



8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण (हां)।
कमांडर वासुदेव पुराणिक, आईएन (सेवानिवृत्त)
डीआईएन- 09623387
निदेशक (कॉरपोरेट योजना एवं कार्मिक)
+91 22 2376 4022
ईमेल आईडी: dcppoffice@mazdock.com
9. क्या संस्था में स्थिरता-संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी निदेशक मंडल की कोई विनिर्दिष्ट समिति/निदेशक है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।
एमडीएल ने सीएसआर, यौन उत्पीड़न निवारण (पॉश) और जोखिम प्रबंधन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर पर्यवेक्षण के लिए विशिष्ट समितियां गठित की हैं। कंपनी ने अपने नीति ढांचे का सतत निष्पादन और नियमित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आंतरिक अभिशासन तंत्र भी लागू किए हैं।

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा का विषय	बताएं कि समीक्षा निदेशक/निदेशक मंडल की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी	आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/कोई अन्य – कृपया विनिर्दिष्ट करें)
	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
उपर्युक्त नीतियों के प्रति निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	निदेशक मंडल अपनी संबंधित समितियों के सहयोग से कंपनी की नीतियों के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता का आवधिक मूल्यांकन करता है। ऐसा पर्यवेक्षण लागू कानूनी और विनियामकीय ढांचे के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, सीएसआर समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के माध्यम से किया जाता है।	
सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	कंपनी ने लागू सांविधिक अपेक्षाओं का सारतः अनुपालन किया है, सिवाय सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित निदेशक मंडल की संरचना संबंधी अपेक्षाओं के। यह गैर-अनुपालन गैर-कार्यकारी निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक के पदों की रिक्तियों तथा निदेशक मंडल की न्यूनतम अपेक्षित सदस्य-संख्या से संबंधित है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में आती है। तदनुसार, अपेक्षित निदेशकों की नियुक्ति के लिए यह मामला रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के समक्ष उठाया गया है और वर्तमान में एमओडी/सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के विचाराधीन है। लागू सांविधिक और विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुपालन की निदेशक मंडल द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है।	

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यकरण का स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम प्रदान करें।									
12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर “नहीं” है, अर्थात् सभी सिद्धांत किसी नीति में समाहित नहीं हैं, तो कारण बताएं:									
ए. संस्था इन सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हां/नहीं)									
बी. संस्था अभी उस चरण में नहीं है जहां वह विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में हो (हां/नहीं)									
सी. संस्था के पास इस कार्य के लिए वित्तीय अथवा मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)									
डी. इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं)									
ई. कोई अन्य कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)									

लागू नहीं

खंड सी: सिद्धांत-वार निष्पादन प्रकटीकरण


इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों तथा मूल तत्वों को एकीकृत करने में अपना निष्पादन प्रदर्शित करने में सहायता करना है। मांगी गई जानकारी को “अनिवार्य” और “नेतृत्व” श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

जहां इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अधिदेशित प्रत्येक संस्था से अनिवार्य संकेतकों का प्रकटीकरण अपेक्षित है, वहीं सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से उत्तरदायित्वपूर्ण बनने के प्रयास में उच्चतर स्तर तक प्रगति करने की आकांक्षा रखने वाली संस्थाएं नेतृत्व संकेतकों का स्वैच्छिक प्रकटीकरण कर सकती हैं।

सिद्धांत 1: व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह ढंग से अपना संचालन और अभिशासन करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

- वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	6	निदेशकों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम, कॉरपोरेट अभिशासन, व्यवसाय मूल्यांकन मास्टरक्लास, साइबर सुरक्षा, रणनीतिक सम्मेलन	100%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	10	व्यवसाय मूल्यांकन मास्टरक्लास, साइबर सुरक्षा, रणनीतिक सम्मेलन, वित्तीय योजना, भेदिया कारोबार का निषेध	100%
बीओडी और केएमपी के अतिरिक्त कर्मचारी	159	कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय योजना, व्यावसायिक साज-संवार एवं कार्यालय शिष्टाचार, अग्निशमन एवं सुरक्षा, हिंदी कार्यशाला, मार्गदर्शन एवं उत्तराधिकार योजना, कॉरपोरेट अभिशासन, चार श्रम संहिताएं, साइबर सुरक्षा, “कल्याण, स्वास्थ्य एवं फिटनेस”	100%
कामगार	74	कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अग्निशमन, औद्योगिक सुरक्षा, निवारक सतर्कता, टीम निर्माण, तनाव प्रबंधन, अभिप्रेरणा	87.14%

- वित्तीय वर्ष में विनियमकों/विधि प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाहियों में (संस्था अथवा निदेशकों/केएमपी द्वारा) भुगतान किए गए जुर्मानों/दंडों/सजाओं/अधिनिर्णयों/शमन शुल्कों/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें (टिप्पणी: संस्था विनियम 30, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट महत्ता के आधार पर और संस्था की वेबसाइट पर किए गए प्रकटीकरण के अनुसार प्रकटीकरण करेगी):

मौद्रिक

एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामकीय/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रुपए में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील प्रस्तुत की गई है? (हां/नहीं)
दंड/जुर्माना	वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी, किसी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) पर ऐसा कोई जुर्माना, दंड, सजा, अधिनिर्णय, शमन शुल्क अथवा निपटान राशि अधिरोपित नहीं की गई			
निपटान	जो कंपनी की महत्ता नीति के अंतर्गत निर्धारित महत्ता सीमाओं को पूरा करती हो।			
शमन शुल्क				

गैर-मौद्रिक

कारावास	वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी, किसी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) पर ऐसा कोई जुर्माना, दंड, सजा, अधिनिर्णय, शमन शुल्क अथवा निपटान राशि अधिरोपित नहीं की गई			
सजा	जो कंपनी की महत्ता नीति के अंतर्गत निर्धारित महत्ता सीमाओं को पूरा करती हो।			



3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट मामलों में, जहां मौद्रिक अथवा गैर-मौद्रिक कार्रवाई के विरुद्ध अपील की गई है, प्रस्तुत अपील/पुनरीक्षण का विवरण।

मामले का विवरण	विनियामकीय/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम
	लागू नहीं

4. क्या संस्था की भ्रष्टाचार-रोधी अथवा रिश्वत-रोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें और उपलब्ध होने पर नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, कंपनी ने अपने सभी परिचालनों में रिश्वत, भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण को रोकने के लिए व्यापक अभिशासन ढांचा स्थापित किया है। कर्मचारियों का आचरण आचरण, अनुशासन एवं अपील (सीडीए) नियम, 2017 द्वारा शासित है, जबकि स्थायी और आकस्मिक कर्मचारियों पर लागू सेवा-शर्तें प्रमाणित स्थायी आदेशों के अंतर्गत निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी की आचार संहिता व्यावसायिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सभी कर्मचारियों से अपेक्षित सिद्धांत और मानक निर्धारित करती है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने और अनैतिक पद्धतियों की रिपोर्टिंग संभव बनाने के लिए कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है, जो निदेशकों और कर्मचारियों को कंपनी के मामलों से संबंधित चिंताओं की उपयुक्त समीक्षा एवं कार्रवाई के लिए सीधे लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट करने का औपचारिक तंत्र प्रदान करती है।

वेब लिंक: <https://mazagondock.in/images/pdf/whistle-blower-policy.pdf>

5. उन निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की:

	वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	शून्य	शून्य

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:

	वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)		वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में विनियामकों/विधि प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाए गए जुर्मानों/दंडों/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई अथवा जारी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

8. देय लेखों के दिनों की संख्या (देय लेख *365)/(खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में: #

	वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
देय लेखों के दिनों की संख्या	10	13

#उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग बी, विशेषता 9 के अंतर्गत निर्धारित गणना पद्धति का उपयोग करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है और विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार है।

उपर्युक्त गणना के प्रयोजन के लिए औसत देय लेखों का निर्धारण 31 मार्च, 2026 को बकाया देयताओं के आधार पर किया गया है (वित्तीय विवरणों के नोट 20 और 24 देखें)।



9. व्यवसाय का खुलापन

व्यापार गृहों #, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद एवं बिक्री की संकेंद्रता तथा संबंधित पक्षों के साथ ऋण, अग्रिम एवं निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	माप	वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
खरीद की संकेंद्रता	ए. कुल खरीद के % के रूप में व्यापार गृहों से खरीद	शून्य	शून्य
	बी. उन व्यापार गृहों की संख्या जिनसे खरीद की जाती है	शून्य	शून्य
	सी. व्यापार गृहों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापार गृहों से खरीद	शून्य	शून्य
बिक्री की संकेंद्रता	ए. कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरकों को बिक्री	शून्य	शून्य
	बी. उन डीलरों/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है	शून्य	शून्य
	सी. डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री	शून्य	शून्य
आरपीटी का हिस्सा	ए. खरीद (संबंधित पक्षों से खरीद/कुल खरीद)	शून्य	शून्य
	बी. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)	86.27%*	90.23%*
	सी. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम)	शून्य	शून्य
	डी. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/किया गया कुल निवेश)	100%	100%*

#उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग बी, विशेषता 9 के अंतर्गत निर्धारित गणना पद्धति का उपयोग करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) कोर संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है और विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC 2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार है।

* संबंधित पक्ष प्रकटीकरण पर वित्तीय विवरणों का नोट 45 देखें



नेतृत्व संकेतक

- वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण में शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर)
98	अग्निशमन एवं सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, मोटापा और उसका प्रबंधन, सुरक्षा सेवेदीकरण, तनाव प्रबंधन, योग चिकित्सा, चिकित्सा-स्वस्थ हृदय स्पंदन, हृदय संबंधी आपातस्थिति में सावधानी एवं प्रबंधन, एचएसई जागरूकता, मस्तिष्क आघात एवं हृदय गति रुकना, भावी पनडुब्बी परियोजनाओं में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने हेतु आत्मनिर्भर पनडुब्बी पारितंत्र सम्मेलन। एससी/एसटी एवं महिला उद्यमियों के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम; महेंद्रगिरि के पोत-कर्मिंदल के लिए आयोजित प्रशिक्षण।	व्यवसाय की प्रकृति के कारण कंपनी वर्तमान में इस माप को परिमाणित करने में असमर्थ है, क्योंकि वह व्यवसायों की संख्या के संदर्भ में मूल्य श्रृंखला भागीदारों का समेकित डेटाबेस नहीं रखती। फलस्वरूप, अपेक्षित जानकारी मात्रात्मक अथवा प्रतिशत रूप में रिपोर्ट नहीं की जा सकती।

- क्या संस्था में निदेशक मंडल के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/उनका प्रबंधन करने के लिए प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उनका विवरण प्रदान करें।

हां। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के लागू दिशानिर्देशों और कंपनी की आचार संहिता के अनुसार निदेशकों से अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और नैतिक आचरण के उच्चतम मानक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। निदेशकों के लिए अपनी निदेशकताओं, व्यावसायिक हितों अथवा ऐसी अन्य परिस्थितियों में किसी परिवर्तन का तत्काल प्रकटीकरण करना आवश्यक है जो उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती हों अथवा वास्तविक या संभावित हितों का टकराव उत्पन्न कर सकती हों। निर्धारित अभिशासन ढांचे के अनुसार विधिवत अनुमोदित होने के अतिरिक्त, उनके लिए ऐसे मामलों में भाग लेने से विरत रहना भी आवश्यक है जिनमें ऐसा टकराव विद्यमान हो। इसके अतिरिक्त, निदेशकों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके पद और प्राधिकार का उपयोग केवल कंपनी के हित में किया जाए और किसी अनुचित व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक लाभ के लिए न किया जाए। अधिक विवरण के लिए निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता देखें, जो यहां उपलब्ध है:

<https://mazagondock.in/images/pdf/mdl-code-of-conduct-for-director-and-senior-mngt.pdf>

खंड सी: सिद्धांत-वार निष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 2: व्यवसायों को स्थायी एवं सुरक्षित ढंग से वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए
अनिवार्य संकेतक

- उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों में सुधार हेतु विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में संस्था द्वारा किए गए क्रमशः कुल आरएंडडी और कैपेक्स निवेशों की तुलना में आरएंडडी तथा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेशों का प्रतिशत

	वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष	पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर एंड डी	60.14%	27.20%	ऊर्जा-दक्ष बीईई (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) प्रमाणित 5 स्टार रेटिंग वाली एसी इकाइयां।
कैपेक्स	6.57%	8.78%	- न्हावा यार्ड, एमडीएल में भूमि-बंधन, ब्रैकेट और सेवा खाई सहित संबद्ध विद्युत कार्यों वाला हार्ड स्टैंड - न्हावा में ग्रीनफील्ड शिपयार्ड अवसंरचना का विकास - अग्नि संरक्षण एवं अग्निशमन प्रणालियों का उन्नयन - माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा विकसित सौर विद्युत हाइब्रिड नौका एक पर्यावरण-अनुकूल यात्री पोत है, जिसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने और स्थायी अंतर्देशीय एवं तटीय जल परिवहन को समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पारंपरिक डीजल-चालित नौकाओं का कम-उत्सर्जन विकल्प उपलब्ध कराने हेतु सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) पैनलों, बैटरी ऊर्जा भंडारण और विद्युत प्रणोदन को संयोजित करती है।

- ए. क्या संस्था में स्थायी स्रोत-निर्धारण के लिए प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं? (हां/नहीं) नहीं। एमडीएल विक्रेताओं और ठेकेदारों के साथ संबंधों को शासित करने वाली अपनी संविदात्मक शर्तों में व्यापक सांविधिक अनुपालन अपेक्षाएं समाहित करता है। विक्रेताओं के लिए समय-समय पर प्रवृत्त सभी संशोधनों, परिवर्तनों और सांविधिक पुनः अधिनियमनों सहित सभी लागू केंद्रीय और राज्य श्रम विधानों का अनुपालन आवश्यक है, जिनमें अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, बाल रोजगार अधिनियम, 1938, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, कारखाना अधिनियम, 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और शिक्षा अधिनियम शामिल हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

कंपनी का खरीद ढांचा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति और भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश के अनुरूप स्वदेशी स्रोत-निर्धारण को भी बढ़ावा देता है। तदनुसार, ₹200 करोड़ से कम मूल्य की खरीद संविदाएं केवल घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को प्रदान की जाती हैं अथवा स्वदेशी खरीद माध्यमों से निष्पादित की जाती हैं।

रक्षा पोत-निर्माण की विशिष्ट प्रकृति और रक्षा ग्राहकों द्वारा निर्धारित कठोर तकनीकी एवं सुरक्षा अपेक्षाओं को देखते हुए कंपनी अपेक्षाकृत सीमित अर्ह विक्रेता समूह के साथ कार्य करती है। आपूर्तिकर्ताओं का चयन स्थापित खरीद प्रक्रियाओं और लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

बी. यदि हां, तो इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी स्रोतों से प्राप्त किया गया?

वर्तमान में कंपनी स्थायी स्रोतों से प्राप्त इनपुट के मूल्य अथवा अनुपात संबंधी डेटा नहीं रखती। एमडीएल उपयुक्त अनुरेखण एवं रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता का आकलन करेगा और आगामी वर्षों में इस जानकारी के प्रकटीकरण पर विचार करेगा।⁹

- निम्नलिखित के लिए पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और उपयोग-आयु की समाप्ति पर निपटान हेतु अपने उत्पादों की सुरक्षित पुनः प्राप्ति के लिए उपलब्ध प्रक्रियाओं का वर्णन करें:

(ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	एमडीएल विध्वंसकों, फ्रिगेटों और पनडुब्बियों सहित रक्षा प्लेटफॉर्मों के निर्माण में संलग्न है, जिनकी आपूर्ति रणनीतिक और राष्ट्रीय रक्षा प्रयोजनों के लिए की जाती है। चूंकि सुपुर्दगी के पश्चात् ये परिसंपत्तियां ग्राहक के स्वामित्व और नियंत्रण में रहती हैं, इसलिए कंपनी नियोजित पुनर्संजीकरण और रखरखाव गतिविधियां करने के अतिरिक्त उपयोग-आयु की समाप्ति पर उत्पादों की पुनः प्राप्ति नहीं करती। तथापि, एमडीएल लागू सांविधिक और पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अनुपालन में अपने विनिर्माण परिचालनों से उत्पन्न अपशिष्ट और स्क्रेप के सुरक्षित प्रबंधन, पुनर्चक्रण, पुनः प्राप्ति और निपटान के लिए संरचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है।
(बी) ई-अपशिष्ट	
(सी) खतरनाक अपशिष्ट	
(डी) अन्य अपशिष्ट	



4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू है (हां/नहीं)? यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का विवरण प्रदान करें।
नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) अथवा अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) हेतु जीवन-चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल कारोबार में योगदान का %	वह सीमा जिसके लिए जीवन-चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन किया गया	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक क्षेत्र में संप्रेषित किए गए (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लैंक प्रदान करें।
------------	--------------------	-----------------------------	--	---	--

वर्तमान में कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के लिए जीवन-चक्र आकलन (एलसीए) नहीं किए जाते। अपनी निरंतर सुधार और स्थिरता यात्रा के भाग के रूप में एमडीएल एलसीए ढांचे को लागू करने की प्रासंगिकता एवं व्यवहार्यता का आकलन करेगा और भावी रिपोर्टिंग अवधियों में इसे अपनाने पर विचार करेगा।

2. यदि जीवन-चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) अथवा किसी अन्य माध्यम से चिह्नित आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक अथवा पर्यावरणीय चिंताएं और/अथवा जोखिम उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें कम करने हेतु की गई कार्रवाई सहित उनका संक्षिप्त वर्णन करें।

उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम/चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
लागू नहीं।	कंपनी वर्तमान में अपनी सेवाओं के लिए जीवन-चक्र आकलन (एलसीए) नहीं करती। तदनुसार, संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।	

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) अथवा सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की गई कुल सामग्री (मूल्य के आधार पर) में पुनर्चक्रित अथवा पुनः प्रयुक्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री बताएं	कुल सामग्री में पुनर्चक्रित अथवा पुनः प्रयुक्त इनपुट सामग्री	
	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-2025 पिछला वित्तीय वर्ष
रक्षा पोत-निर्माण पर लागू कठोर गुणवत्ता, सुरक्षा और निष्पादन मानकों को देखते हुए विनिर्माण प्रक्रिया में पुनर्चक्रित अथवा पुनः प्रयुक्त इनपुट सामग्री का उपयोग व्यवहार्य नहीं है।		

4. उत्पादों की उपयोग-आयु समाप्त होने पर पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः प्रयुक्त, पुनर्चक्रित और सुरक्षित रूप से निपटाई गई मात्रा (मीट्रिक टन में):

	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष		
	पुनः प्रयुक्त	पुनर्चक्रित	सुरक्षित रूप से निपटाया गया	पुनः प्रयुक्त	पुनर्चक्रित	सुरक्षित रूप से निपटाया गया
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	सुपुर्दगी पर पोतों का स्वामित्व और परिचालन नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित हो जाते हैं। नियोजित पुनर्संजीकरण और रखरखाव कार्यों के अतिरिक्त ये परिसंपत्तियां कंपनी के पास वापस नहीं आतीं। तदनुसार, एमडीएल के पास अपने उत्पादों की सेवा-आयु समाप्त होने पर उन्हें पुनः प्राप्त अथवा वापस लेने का कोई तंत्र नहीं है।					
ई-अपशिष्ट						
खतरनाक अपशिष्ट						
अन्य अपशिष्ट						

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)

उत्पाद श्रेणी बताएं	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के % के रूप में पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
	लागू नहीं



खंड सी: सिद्धांत-वार निष्पादन प्रकटीकरण



सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल व्यक्तियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए

अनिवार्य संकेतक

1. ए कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	इसके अंतर्गत शामिल कर्मचारियों का %										
	स्वास्थ्य बीमा*			दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ**		पितृत्व लाभ**		दिवस देखभाल सुविधाएं	
	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	896	896	100%	896	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	896	100%	896	100%
महिला	76	76	100%	76	100%	76	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	76	100%
कुल	972	972	100%	972	100%	76	8%	896	92%	972	100%
स्थायी के अतिरिक्त कर्मचारी											
पुरुष	9	9	100%	9	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	9	100%	9	100%
महिला	0	0	0%	0	0%	0	0%	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0%
कुल	9	9	100%	9	100%	0	0%	9	100%	9	100%

*स्थायी कर्मचारियों और कामगारों को कंपनी के परिसर में स्थापित व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (ओएचसी) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। उन्नत चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले मामलों को सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थानों के पास भेजा जाता है और संबंधित अस्पताल-भर्ती व्यय कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं।

**मातृत्व और पितृत्व लाभों के लिए कवरेज का निर्धारण क्रमशः पात्र महिला और पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या के आधार पर किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा 10 मई, 2024 को जारी बीआरएसआर संबंधी एफएक्यू के अनुरूप मातृत्व लाभ कवरेज को, जहां लागू हो, 100% प्रकट किया गया है।

बी कामगारों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	इसके अंतर्गत शामिल कर्मचारियों का %										
	स्वास्थ्य बीमा*			दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ**		पितृत्व लाभ**		दिवस देखभाल सुविधाएं	
	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कामगार											
पुरुष	1753	1753	100%	1753	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	1753	100%	1753	100%
महिला	57	57	100%	57	100%	57	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	57	100%
कुल	1810	1810	100%	1810	100%	57	3%	1753	97%	1810	100%
स्थायी के अतिरिक्त कामगार											
पुरुष	2870	2870	100%	1753	61%	लागू नहीं	लागू नहीं	2870	100%	2870	100%
महिला	109	109	100%	57	52%	109	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	109	100%
कुल	2979	2979	100%	1810	61%	109	4%	2870	96%	2979	100%

* स्थायी कर्मचारियों और कामगारों को कंपनी के परिसर में स्थापित व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (ओएचसी) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। उन्नत चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले मामलों को सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थानों के पास भेजा जाता है और संबंधित अस्पताल-भर्ती व्यय कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं।

** मातृत्व और पितृत्व लाभों के लिए कवरेज का निर्धारण क्रमशः पात्र महिला और पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या के आधार पर किया गया है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा 10 मई, 2024 को जारी बीआरएसआर संबंधी एफएक्यू के अनुरूप मातृत्व लाभ कवरेज को, जहां लागू हो, 100% प्रकट किया गया है।



सी कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी तथा स्थायी के अतिरिक्त सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय निम्नलिखित प्रारूप में -

	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष
कर्मचारियों के कल्याण संबंधी उपायों पर वहन की गई लागत, कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में*	0.53	0.66

*उपर्युक्त आंकड़े भाग बी, विशेषता 5 के अंतर्गत निर्धारित पद्धति का उपयोग करके निकाले गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) कोर संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछला वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण*

लाभ	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	कटौती करके प्राधिकरण के पास जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	कटौती करके प्राधिकरण के पास जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	100	100	हां	100	100	हां
उपदान	100	100	लागू नहीं	100	100	लागू नहीं
ईएसआई	100	100	हां	100	100	हां
अन्य	-	-	-	-	-	-

*लागू सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के अंतर्गत कवरेज 100% रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि सभी पात्र कर्मचारी संबंधित योजनाओं में नामांकित हैं।

3. कार्यस्थलों की सुगम्यता

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुगम्य हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था इस संबंध में कोई कदम उठा रही है। समावेशी और सुगम्य कार्यस्थल का निर्माण कंपनी की जन-पद्धतियों का अभिन्न अंग बना हुआ है। एमडीएल ने दिव्यांगजनों की गतिशीलता और पहुंच की सुविधा हेतु रैंप, हैंडरेल और व्हीलचेयर सहित आवश्यक सुगम्यता उपाय लागू किए हैं। कंपनी समय-समय पर अपनी अवसरचना का मूल्यांकन करती है और सुगम्यता बढ़ाने तथा सभी के लिए न्यायसंगत कार्यस्थल सुनिश्चित करने हेतु और सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. क्या संस्था की दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

एमडीएल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार समानता, गरिमा और समान अवसर के सिद्धांतों को बनाए रखने वाला समावेशी कार्यस्थल विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी रोजगार-संबंधी सभी निर्णयों में योग्यता-आधारित दृष्टिकोण का पालन करती है और नस्ल, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, आयु, दिव्यांगता अथवा किसी अन्य संरक्षित विशेषता के आधार पर भेदभाव नहीं करती। न्यायसंगत और सुगम्य कार्य परिवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुष्ट करने के लिए एमडीएल ने समान अवसर नीति अपनाई है, जो अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप है और रोजगार के सभी चरणों में निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देती है।

नीति का वेब-लिंक

https://mazagondock.in/images/pdf/Equal%20Opportunity%20Policy%20for%20Persons%20with%20Benchmark%20Disabilities_20072026.pdf

5. माता-पिता अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी एवं प्रतिधारण दरें।

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर वापसी की दर	प्रतिधारण दर	काम पर वापसी की दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100.00	100.00	100.00	100.00
महिला	100.00	100.00	100.00	100.00
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00



6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने हेतु कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें।

हां/नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)	
स्थायी कामगार	एमडीएल ने कर्मचारी शिकायतों के समयबद्ध एवं निष्पक्ष समाधान हेतु शिकायत निवारण ढांचा स्थापित किया है। 9 दिसंबर, 1985 से लागू यह ढांचा सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित स्थायी समितियां संचालित करती हैं। ये समितियां कार्यकारी एवं कर्मचारी/कर्मचारियों की शिकायतें देखती हैं और इनमें अध्यक्ष सहित विभिन्न कार्यात्मक विभागों के मध्यम व वरिष्ठ प्रबंधन के 3-4 प्रतिनिधि होते हैं। यह ढांचा सकारात्मक एवं समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देते हुए शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित समाधान सुनिश्चित करता है। इस ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित स्थायी समितियां गठित हैं: • जन शिकायत निवारण • कार्यकारी शिकायत निवारण • स्टाफ/उप-स्टाफ एवं कामगार शिकायत निवारण • एससी/एसटी कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ • यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण • अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं का निवारण • दिव्यांग कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ • अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ • सौदेबाजी परिषद में प्रबंधन प्रतिनिधि
स्थायी के अतिरिक्त कामगार	
स्थायी कर्मचारी	
स्थायी के अतिरिक्त कर्मचारी	

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघ/संघों अथवा यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (ए)	संबंधित श्रेणी में संघ/संघों अथवा यूनियन का भाग बनने वाले कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (बी)	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (सी)	संबंधित श्रेणी में संघ/संघों अथवा यूनियन का भाग बनने वाले कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (डी)	% (डी/सी)
कुल स्थायी						
कर्मचारी	972	872	90%	975	874	89.64%
पुरुष	896	812	91%	901	816	90.57%
महिला	76	60	79%	74	58	78.38%
कुल स्थायी						
कामगार	1810	1810	100%	1679	1679	100%
पुरुष	1753	1753	100%	1631	1631	100%
महिला	57	57	100%	48	48	100%



8. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष					वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)		सं. (ई)	% (ई/डी)	सं. F	% (F/D)
कर्मचारी										
पुरुष	905	582	64.31%	905	100%	901	575	63.82%	887	98.45%
महिला	76	76	100%	76	100%	74	73	98.65%	74	100%
कुल	981	658	67.07%	981	100%	975	648	66.46%	961	98.56%
कामगार										
पुरुष	4623	2813	60.85%	3498	76%	4894	3134	64.04%	2272	46.42%
महिला	166	166	100%	166	100%	170	169	99.41%	125	73.53%
कुल	4789	2979	62.21%	3664	77%	5064	3303	65.23%	2397	47.33%

9. कर्मचारियों और कामगारों की निष्पादन एवं करियर विकास समीक्षाओं का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (ए)	सं. (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	सं. (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
पुरुष	905	905	100%	901	901	100%
महिला	76	76	100%	74	74	100%
कुल	981	981	100%	975	975	100%
कामगार						
पुरुष	4623	4623	100%	4894	4894	100%
महिला	166	166	100%	170	170	100%
कुल	4789	4789	100%	5064	5064	100%

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

ए. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?

सभी व्यावसायिक प्रभागों में लागू और 46 अनुभागों तथा विभागों को समाहित करने वाली एकीकृत स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (एचएसईएमएस) के माध्यम से स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रबंधन एमडीएल के परिचालन ढांचे में समाहित हैं। कंपनी की पर्यावरणीय और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पद्धतियां स्वतंत्र रूप से आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 से प्रमाणित हैं, जो वैश्विक स्तर पर स्वीकृत प्रबंधन प्रणाली मानकों के साथ अनुरूपता दर्शाती हैं।

बी. संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा जोखिमों का आकलन करने के लिए किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है?

एमडीएल अपने कार्यबल के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की रक्षा के लिए सक्रिय जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाता है। सभी परिचालन अनुभागों और विभागों में व्यापक खतरा पहचान एवं जोखिम आकलन (एचआईआरए) किया जाता है तथा आकलन के परिणाम विभागीय परिचालन नियमावलियों में समाहित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया कार्यस्थल के जोखिमों की व्यवस्थित पहचान, उनके संभावित प्रभाव के मूल्यांकन और संबंधित खतरों को समाप्त अथवा न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन में सहायक होती है।

किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- संभावित स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान हेतु कार्यस्थल की गतिविधियों और परिचालन स्थितियों की सतत निगरानी।



- असुरक्षित कृत्यों, असुरक्षित स्थितियों और निवारक कार्रवाई के अवसरों का पता लगाने हेतु नियोजित निरीक्षण एवं सुरक्षा लेखा-परीक्षाएं।
- विद्यमान नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करने हेतु दुर्घटनाओं, व्यावसायिक रोगों, चोटों और बाल-बाल बची घटनाओं का मूल कारण विश्लेषण।
- जोखिम प्रबंधन पद्धतियों में निरंतर सुधार को सुगम बनाने हेतु घटना प्रवृत्तियों और बार-बार आने वाले अवलोकनों की समीक्षा।
- परिचालन तत्परता और प्रत्यास्थता बढ़ाने हेतु आपात स्थितियों, रखरखाव गतिविधियों और अन्य गैर-नियमित परिचालनों का जोखिम मूल्यांकन।
- घटना की संभावना और संभावित परिणामों के आधार पर जोखिमों की प्राथमिकता तय करना, जिससे उपयुक्त जोखिम-न्यूनीकरण उपायों का समयबद्ध कार्यान्वयन संभव हो।

सी. क्या कामगारों के लिए कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने और स्वयं को ऐसे जोखिमों से दूर करने हेतु प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। (हां/नहीं)

हां। एमडीएल कार्यस्थल के खतरों और सुरक्षा-संबंधी घटनाओं की शीघ्र पहचान एवं रिपोर्टिंग में सहायता हेतु तैयार सुव्यवस्थित घटना प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करता है। समयबद्ध प्रतिक्रिया, मूल कारण विश्लेषण और उपयुक्त जोखिम-न्यूनीकरण उपायों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु सभी रिपोर्ट किए गए मामलों की स्थापित अभिशासन तंत्र के माध्यम से समीक्षा की जाती है।

डी. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)

कंपनी ने कर्मचारियों, कामगारों और अन्य पात्र हितधारकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक चिकित्सा देखभाल सेवाओं से समर्थित समर्पित व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (ओएचसी) स्थापित किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित अधिक विवरण अनिवार्य संकेतक 1 के अंतर्गत टिप्पणी (i) में देखे जा सकते हैं।

11. सुरक्षा-संबंधी घटनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछले वित्तीय वर्ष
समय-हानि चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति-कार्य घंटे)	कर्मचारी	0.00	0
	कामगार	0.13	0.04
कुल अभिलेखनीय कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	0.00	0
	कामगार	13	1
मृत्यु की संख्या	कर्मचारी	0.00	0
	कामगार	1.00	0
गंभीर परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट अथवा अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0

12. सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

एमडीएल कार्यस्थल की चोटों को रोकने, कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देने और अपने परिचालनों में सशक्त सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से व्यापक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन ढांचे का पालन करता है। सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के लिए कंपनी निवारक उपायों, क्षमता-निर्माण पहलों, नियमित निगरानी और निरंतर सुधार पद्धतियों को अपने दैनिक परिचालनों में एकीकृत करती है।

इस ढांचे के भाग के रूप में चिकित्सा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देने हेतु आवधिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और संवेदीकरण सत्र आयोजित करता है। कंपनी के परिचालनों से उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा प्राधिकृत एजेंसी मेसर्स एसएमएस एनवोक्लीन के माध्यम से किया जाता है, जिससे लागू सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित होता है। कार्यस्थल सुरक्षा को दैनिक सुरक्षा निगरानी, सुदृढ़ कार्य-परमिट प्रणाली, आवधिक सुरक्षा समिति बैठकों और कर्मचारियों तथा संविदा कर्मिकों के नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से और सुदृढ़ किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी प्रत्येक वर्ष जागरूकता अभियानों और कर्मचारी सहभागिता गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाती है।



अपनी सुरक्षा संस्कृति को और सुदृढ़ करने के लिए एमडीएल निम्नलिखित सहित विभिन्न निवारक और निगरानी पहलें करता है:

- कर्मचारियों के लिए नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना
- संरचित पुरस्कार एवं मान्यता पहलों के माध्यम से अनुकरणीय सुरक्षा निष्पादन को मान्यता और प्रोत्साहन देना।
- परिचालन क्षेत्रों में प्रदर्शित दृश्य संचार सामग्री के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना।
- परिचालन जोखिम न्यूनतम करने हेतु कार्यस्थल पर उच्च गृह-व्यवस्था मानक बनाए रखना।
- मशीनरी, उपकरणों और औजारों का निवारक रखरखाव एवं आवधिक निरीक्षण करना।
- खतरों, असुरक्षित स्थितियों और घटनाओं की रिपोर्टिंग हेतु औपचारिक तंत्र संचालित करना।
- मूल कारणों की पहचान और निवारक कार्रवाइयों के कार्यान्वयन हेतु कार्यस्थल घटनाओं की व्यवस्थित जांच करना।
- प्राथमिक उपचार मामलों, सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, निरीक्षणों और घटना जांचों के व्यापक अभिलेख रखना।
- सुधार के अवसरों की पहचान और जोखिम नियंत्रणों को सुदृढ़ करने हेतु आवधिक कार्यस्थल लेखा-परीक्षाएं एवं सुरक्षा निरीक्षण करना।
- संगठन में निरंतर सुधार को गति देने हेतु नियमित सुरक्षा बैठकों के माध्यम से व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निष्पादन की समीक्षा करना।

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछले वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष की समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष की समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित	टिप्पणियां
कार्य स्थितियां	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

14. वर्ष के लिए आकलन:

आपके उन संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका आकलन किया गया (संस्था अथवा सांविधिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)	
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पद्धतियां	100%
कार्य स्थितियां	100%

15. सुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हों) के समाधान और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पद्धतियों तथा कार्य स्थितियों के आकलनों से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई अथवा जारी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

**नेतृत्व संकेतक**

1. क्या संस्था (ए) कर्मचारियों (हां/नहीं) (बी) कामगारों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा अथवा प्रतिकर पैकेज प्रदान करती है।

कंपनी ने अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान कर्मचारियों, कामगारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक कर्मचारी कल्याण एवं सामाजिक संरक्षण पहलें स्थापित की हैं।

i. एमडीएल वित्तीय सहायता योजना

एमडीएल वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों तथा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले स्थायी अक्षमता के कारण समय-पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता की मात्रा कर्मचारी श्रेणी के आधार पर निर्धारित की जाती है।

श्रेणियां	अधिकतम राशि (लाख में)
1. निदेशक मंडल स्तर सहित कार्यकारी कर्मचारी	8
2. कर्मचारी	
आईडी-05 से आईडी10	7
आईडी-01 से आईडी04	6
नियत-अवधि कर्मचारी	6

ii. सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

सामाजिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कंपनी सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी बनाए रखती है, जो किसी कर्मचारी की दुर्घटनाजन्य मृत्यु की स्थिति में नामांकित अथवा कानूनी लाभार्थी को बीमा लाभ प्रदान करती है।

श्रेणियां	प्रति कर्मचारी बीमित पूंजी राशि (लाख में)	कवरेज
कार्यकारी कर्मचारी	40	24 घंटे और विश्वव्यापी
कर्मचारी-स्थायी	40	
कर्मचारी- नियत अवधि	30	
शिक्षु	20	केवल झूटी की अवधि
आउटसोर्स किए गए व्यक्ति	20	
आगतुक	10	एमडीएल परिसर के भीतर

iii. कर्मचारी कल्याण अंशदान योजना

कंपनी कामगारों के लिए अंशदायी कल्याण व्यवस्था भी संचालित करती है, जिसके अंतर्गत सहकर्म कर्मचारियों के अंशदानों के माध्यम से वित्तीय सहायता जुटाई जाती है और कंपनी द्वारा उसके बराबर अंशदान किया जाता है। निर्धारित अंशदान दुर्घटनाजन्य मृत्यु के मामलों में प्रति कर्मचारी ₹50 और प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में प्रति कर्मचारी ₹25 है।

iv. माझगांव डॉक कार्यकारी अंशदायी मृत्यु लाभ योजना

माझगांव डॉक कार्यकारी अंशदायी मृत्यु लाभ योजना कार्यकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक कर्मचारी-वित्तपोषित कल्याण पहल है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भाग लेने वाले प्रत्येक कार्यकारी कर्मचारी द्वारा ₹2,000 का अंशदान किया जाता है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों ने सांविधिक देय राशियों की कटौती करके उन्हें जमा किया है, संस्था द्वारा किए गए उपाय प्रदान करें।

एमडीएल ने यह सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ विक्रेता अनुपालन ढांचा स्थापित किया है कि आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार और अन्य मूल्य श्रृंखला भागीदार अपने सांविधिक एवं विनियामकीय दायित्व पूरे करें। कंपनी उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक पद्धतियों और विनियामकीय अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अपनी खरीद एवं भुगतान प्रक्रियाओं के भाग के रूप में उपयुक्त सम्यक तत्परता और अनुपालन सत्यापन करती है। इस ढांचे के प्रमुख तत्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- संबद्धता की पूर्व शर्त के रूप में सभी विक्रेताओं और ठेकेदारों से वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) रखने की अपेक्षा करना।



- यह सुनिश्चित करना कि आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत हों और जीएसटी विधियों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करते रहें।
 - लागू कर और विनियामकीय दायित्वों सहित निर्धारित सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन का सत्यापन करने के पश्चात ही भुगतान जारी करना।
3. गंभीर परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट/अस्वस्थता/मृत्यु (जैसा उपर्युक्त अनिवार्य संकेतक के Q11 में रिपोर्ट किया गया है) से प्रभावित उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या प्रदान करें जिनका पुनर्वास करके उपयुक्त रोजगार में नियोजन किया गया है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में नियोजित किया गया है:

प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनका पुनर्वास करके उपयुक्त रोजगार में नियोजन किया गया है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में नियोजित किया गया है		
	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछले वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछले वित्तीय वर्ष
कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कामगार	1	शून्य	शून्य	शून्य

4. क्या संस्था सेवानिवृत्ति अथवा रोजगार समाप्ति से उत्पन्न करियर की समाप्ति के प्रबंधन और निरंतर रोजगार-योग्यता को सुगम बनाने के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/नहीं)
- हां। एमडीएल ने अपने कार्यबल की सेवानिवृत्ति-पश्चात सहभागिता को सुगम बनाने के लिए संरचित ढांचा स्थापित किया है। अपनी परामर्श नीति के माध्यम से पात्र सेवानिवृत्त कार्यकारी कर्मचारियों को संविदात्मक अथवा नियत-अवधि आधार पर पुनः नियोजित किया जा सकता है, जिससे कंपनी महत्वपूर्ण विशेषज्ञता बनाए रख सके और विशिष्ट ज्ञान की निरंतरता सुनिश्चित कर सके तथा साथ ही निरंतर व्यावसायिक योगदान के अवसर प्रदान कर सके।
5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन का विवरण:

आकलित मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर)			
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पद्धतियां	एमडीएल अपनी खरीद दस्तावेजीकरण में निर्धारित अनुपालन दायित्वों को समाहित करता है और आपूर्तिकर्ताओं तथा ठेकेदारों से लागू संविदात्मक एवं सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने की अपेक्षा करता है। यद्यपि कंपनी ने अभी अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों की स्थिरता अथवा अभिशासन पद्धतियों के मूल्यांकन हेतु औपचारिक आकलन प्रक्रिया स्थापित नहीं की है, वह इस पहलू की समीक्षा करने और भविष्य में उपयुक्त आकलन ढांचे के चरणबद्ध कार्यान्वयन पर विचार करने का प्रस्ताव रखती है।		
कार्य स्थितियां			

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पद्धतियों और कार्य स्थितियों के आकलनों से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई अथवा जारी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।
- लागू नहीं।



खंड सी: सिद्धांत-वार निष्पादन प्रकटीकरण



सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

अनिवार्य संकेतक

- संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें:
माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) हितधारक सहभागिता को अपने कॉर्पोरेट अभिशासन और स्थिरता दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण भाग मानता है। कंपनी अपने हितधारकों की अपेक्षाएं समझने, प्रासंगिक चिंताओं का समाधान करने और पारदर्शी एवं रचनात्मक संबंध विकसित करने के लिए उनके साथ सहभागिता करती है। जहां प्रासंगिक हो, हितधारक प्रतिक्रिया पर व्यावसायिक परिचालनों, निर्णय-प्रक्रिया और स्थिरता पहलों में विचार किया जाता है, जिससे कंपनी की दीर्घकालिक वृद्धि और मूल्य सृजन को समर्थन मिलता है।
एमडीएल के प्रमुख हितधारक समूहों में ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और विक्रेता, कर्मचारी और कामगार, शेयरधारक और निवेशक, विनियामक और सांविधिक प्राधिकारी, स्थानीय समुदाय, मीडिया तथा उद्योग संघ शामिल हैं। कंपनी इन हितधारकों के साथ नियमित सहभागिता बनाए रखने और खुले संचार तथा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक पद्धतियों के माध्यम से संबंध सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- आपकी संस्था के लिए प्रमुख के रूप में चिह्नित हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति सूचीबद्ध करें

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं सीमांत समूह के रूप में चिह्नित है (हां/नहीं)	संचार माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचारपत्र, पुस्तिकाएं, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना पट्ट, वेबसाइट), अन्य	सहभागिता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/अन्य – कृपया विनिर्दिष्ट करें)	ऐसी सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
1 कर्मचारी और कामगार	नहीं	कर्मचारी पोर्टल, ई-समाचारपत्र, परिपत्र	मासिक, साप्ताहिक, कभी-कभी और पाक्षिक	कंपनी की गतिविधियों की जानकारी
2 शेयरधारक/निवेशक	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, पत्र, बैठकें, समाचारपत्र प्रकाशन, वार्षिक रिपोर्टें	जब और जैसी आवश्यकता हो	शेयरधारक बैठक और शिकायत का समाधान
3 विनियामक और सांविधिक निकाय	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठक	जब और जैसी आवश्यकता हो	लागू विधियों का अनुपालन
4 विक्रेता/आपूर्तिकर्ता	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, एमडीएल ई-पोर्टल, बैठक	विशिष्ट निविदा के अनुसार-मासिक, तिमाही, वार्षिक	निविदाएं वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं
5 ग्राहक	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठक	मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, जब और जैसी आवश्यकता हो	तकनीकी, लॉजिस्टिक, समय-सीमाओं, निबंधनों एवं शर्तों आदि से संबंधित मुद्दे
6 उद्योग संघ	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठक	जब और जैसी आवश्यकता हो	लागू विधियों का अनुपालन
7 मीडिया	नहीं	जब और जैसी आवश्यकता हो: अभिशासन, आवधिक रिपोर्टिंग; आरएफआई/आरएफपी; परियोजना बैठकों में प्रस्तुति; समीक्षाएं; सम्यक तत्परता; कॉल और बैठकें; सम्मेलन एवं संगोष्ठियां; प्रेस सम्मेलन; मीडिया साक्षात्कार और उद्धरण; प्रायोजित कार्यक्रम, विशेषक बैठकें	मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक	निष्पादन और रणनीति का संचार; सार्वजनिक एवं व्यावसायिक चिंताओं की समझ साझा करना और उसमें योगदान देना; एमडीएल के उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवसाय संबंधी मुद्दों पर प्रतिक्रिया पर चर्चा करना।



हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं सीमांत समूह के रूप में चिह्नित है (हां/नहीं)	संचार माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचारपत्र, पुस्तिकाएं, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना पट्ट, वेबसाइट), अन्य	सहभागिता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/अन्य – कृपया विनिर्दिष्ट करें)	ऐसी सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
8 समुदाय	हां	जब और जैसी आवश्यकता हो: अभिशासन, आवधिक रिपोर्टिंग; आरएफआई/आरएफपी; परियोजना बैठकों में प्रस्तुति; समीक्षाएं; सम्यक तत्परता; कॉल और बैठकें; सम्मेलन एवं संगोष्ठियां; प्रेस सम्मेलन; मीडिया साक्षात्कार और उद्घरण; प्रायोजित कार्यक्रम, विक्षेपक बैठकें	मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक	निष्पादन और रणनीति का संचार; सार्वजनिक एवं व्यावसायिक चिंताओं की समझ साझा करना और उसमें योगदान देना; एमडीएल के उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवसाय संबंधी मुद्दों पर प्रतिक्रिया पर चर्चा करना।

नेतृत्व संकेतक

- आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों तथा निदेशक मंडल के बीच परामर्श की प्रक्रियाएं प्रदान करें अथवा यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया गया है, तो ऐसे परामर्शों से प्राप्त प्रतिक्रिया निदेशक मंडल को कैसे प्रदान की जाती है।
एमडीएल के पास यह सुनिश्चित करने हेतु अभिशासन ढांचा है कि उसकी निर्णय-प्रक्रियाओं में हितधारकों के दृष्टिकोणों पर उचित रूप से विचार किया जाए। हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं और चिंताओं का उपयुक्त आंतरिक मंचों तथा अभिशासन तंत्रों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है और रणनीतिक महत्व के मामलों को, जहां आवश्यक हो, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण हेतु निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी एजीएम के दौरान शेरधारकों को निदेशक मंडल के साथ सीधे संवाद करने का अवसर भी प्रदान करती है, जिससे पारदर्शी संचार और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा मिलता है।
नियमित हितधारक सहभागिता और उत्तरदायी अभिशासन पद्धतियों के माध्यम से एमडीएल हितधारकों की अपेक्षाओं का निष्पक्ष एवं समयबद्ध ढंग से समाधान करने का प्रयास करता है।
- क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान एवं प्रबंधन में सहायता हेतु हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे मामलों का विवरण दें जिनमें इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त सुझावों को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में समाहित किया गया।
हां। एमडीएल ने औपचारिक तंत्र स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से हितधारक अपनी चिंताएं, सुझाव और शिकायतें संप्रेषित कर सकते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि प्राप्त सभी अभ्यावेदनों की उपयुक्त माध्यमों से समीक्षा की जाए और उनका समयबद्ध तथा पारदर्शी ढंग से समाधान किया जाए। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान समाधान अपेक्षित करने वाली किसी महत्वपूर्ण हितधारक चिंता की रिपोर्ट नहीं हुई। फिर भी, एमडीएल उत्पन्न हो सकने वाले किसी भी मुद्दे के समाधान और दीर्घकालिक हितधारक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अपने हितधारकों के साथ खुला संचार और रचनात्मक सहभागिता बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है।
- कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं का समाधान करने के लिए की गई सहभागिता और कार्रवाइयों के मामलों का विवरण प्रदान करें।
कंपनी के सीएसआर हस्तक्षेप उसकी अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुरूप किए जाते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पोषण, कौशल विकास एवं ग्रामीण विकास संबंधी पहलों के माध्यम से स्थायी सामाजिक मूल्य सृजित करने पर केंद्रित हैं। ये कार्यक्रम समाज के वंचित और कमजोर वर्गों का कल्याण बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए जाते हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सीएसआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली किसी महत्वपूर्ण हितधारक चिंता की रिपोर्ट नहीं हुई।



खंड सी: सिद्धांत-वार निष्पादन प्रकटीकरण



सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए

अनिवार्य संकेतक

- मानवाधिकार संबंधी मुद्दों और संस्था की नीति/नीतियों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों तथा कामगारों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (ए)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (डी)	% (डी/ सी)
कर्मचारी						
स्थायी	972	972	100%	975	975	100%
स्थायी के अतिरिक्त	9	9	100%	0	0	0%
कुल कर्मचारी	981	981	100%	975	975	100%
कामगार						
स्थायी	1810	1810	100%	1679	1679	100%
स्थायी के अतिरिक्त	2979	2979	100%	3385	3385	100%
कुल कर्मचारी	4789	4789	100%	5064	5064	100%

- कर्मचारियों और कामगारों को भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष					वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (ए)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)		सं. (ई)	% (ई/ डी)	सं. एफ	% (F/D)
कर्मचारी										
स्थायी	972	0	0%	972	100%	975	0	0%	975	100%
पुरुष	896	0	0%	896	100%	901	0	0%	901	100%
महिला	76	0	0%	76	100%	74	0	0%	74	100%
स्थायी के अतिरिक्त	9	0	0%	9	100%	0	0	0%	0	0%
पुरुष	9	0	0%	9	100%	0	0	0%	0	0%
महिला	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%
कामगार										
स्थायी	1810	0	0%	1810	100%	1679	0	0%	1679	100%
पुरुष	1753	0	0%	1753	100%	1631	0	0%	1631	100%
महिला	57	0	0%	57	100%	48	0	0%	48	100%
स्थायी के अतिरिक्त	2979	0	0%	2979	100%	3385	0	0%	3385	100%
पुरुष	2870	0	0%	2870	100%	3263	0	0%	3263	100%
महिला	109	0	0%	109	100%	122	0	0%	122	100%



3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

ए. माध्यिका पारिश्रमिक/मजदूरी:

	पुरुष	महिला
	संख्या	संख्या
संबंधित श्रेणी का माध्यिका पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का माध्यिका पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	9	0
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	6	0
बीओडी और केएमपी के अतिरिक्त कर्मचारी	899	2319079
कामगार	4623	544314

बी. संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी, निम्नलिखित प्रारूप में: *

	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी	4.22%	3.87%

*उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग बी, विशेषता 6 के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

4. क्या व्यवसाय द्वारा उत्पन्न अथवा उसमें योगदान दिए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों के समाधान के लिए उत्तरदायी कोई केंद्र-बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हां/नहीं)

हां। कंपनी ने मानव संसाधन विभाग के प्रमुख को मानवाधिकारों से संबंधित मामलों के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी नोडल प्राधिकारी के रूप में नामित किया है। कंपनी के परिचालनों से उत्पन्न किसी वास्तविक अथवा संभावित मानवाधिकार चिंता को स्थापित अभिशासन ढांचे के अनुसार उपयुक्त मूल्यांकन, समाधान और निगरानी हेतु मानव संसाधन कार्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

5. मानवाधिकार संबंधी मुद्दों से जुड़ी शिकायतों के निवारण हेतु उपलब्ध आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।

एमडीएल सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और सम्मान पर आधारित कार्यस्थल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सद्भावपूर्वक चिंताएं रिपोर्ट करने अथवा जांच में सहायता करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, भेदभाव अथवा प्रतिकूल कार्रवाई को सहन नहीं करता। व्हिसल ब्लोअर नीति, आचार संहिता और शिकायत निवारण नीति से समर्थित कंपनी का अभिशासन ढांचा चिंताएं उठाने वाले व्यक्तियों की गोपनीयता एवं उपयुक्त संरक्षण सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित रिपोर्टिंग माध्यम प्रदान करता है।

अपने कर्मचारी शिकायत प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कंपनी ने कार्यस्थल के विशिष्ट मामलों के समाधान हेतु समर्पित समितियां और संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं। लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार गठित आंतरिक समिति कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी है। कार्य समिति कार्य स्थितियों, कर्मचारी कल्याण और कार्यस्थल संबंधी मुद्दों पर प्रबंधन तथा कर्मचारियों के बीच संवाद को सुगम बनाती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एक संरचित शिकायत निवारण नीति लागू की है, जो कर्मचारियों को चिंताएं रिपोर्ट करने और समयबद्ध समाधान प्राप्त करने हेतु पारदर्शी एवं सुगम तंत्र प्रदान करती है।

न्यायसंगत और समावेशी कार्यस्थल को और बढ़ावा देने के लिए एमडीएल ने निम्नलिखित शिकायत निवारण समितियां गठित की हैं:

- जन शिकायत निवारण समिति
- एमडीएल के सभी यादों के कार्यकारी कर्मचारियों की शिकायत निवारण समिति
- एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ समिति



- एमडीएल के कर्मचारियों/उप-कर्मचारियों एवं कर्मकारों की शिकायत निवारण समिति
- लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायत निवारण समिति
- महिला/डब्ल्यूआईपीएस प्रकोष्ठ समिति
- अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं के निवारण की समिति
- शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ समिति
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ समिति

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष				वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष		
वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष की समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष की समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित	टिप्पणियां	
लैंगिक उत्पीड़न	1	0	समाधान किया गया	0	0	लागू नहीं
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
बाल श्रम	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
बलात् श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
मजदूरी	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतें निम्नलिखित प्रारूप में: *

	वित्तीय वर्ष 25-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 24-25 पिछला वित्तीय वर्ष
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पॉश) के अंतर्गत रिपोर्ट की गई कुल शिकायतें	1	0
महिला कर्मचारियों/कामगारों के % के रूप में पॉश संबंधी शिकायतें	0.41	0
सही पाई गई पॉश संबंधी शिकायतें	0	0

*उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग बी, विशेषता 6 के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल परिणाम रोकने के तंत्र

एमडीएल ऐसा कार्यस्थल विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां भेदभाव, उत्पीड़न अथवा अनैतिक आचरण से संबंधित चिंताओं की प्रतिशोध के भय के बिना रिपोर्ट की जा सके। इस प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए कंपनी ने औपचारिक संरक्षण तंत्र लागू किए हैं, जो गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं, शिकायतकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं और रिपोर्ट किए गए मामलों के निष्पक्ष निवारण को बढ़ावा देते हैं। ये रक्षोपाय निम्नलिखित नीतियों द्वारा शासित हैं:

- लोकहित प्रकटीकरण एवं सूचनादाता संरक्षण नीति
- विहसल ब्लोअर नीति

9. क्या मानवाधिकार संबंधी अपेक्षाएं आपके व्यावसायिक करारों और संविदाओं का भाग हैं? (हां/नहीं)

हां। एमडीएल अपने संविदात्मक और खरीद ढांचे में सांविधिक श्रम एवं रोजगार अनुपालन अपेक्षाएं समाहित करता है और व्यावसायिक भागीदारों से श्रम पद्धतियों को शासित करने वाले लागू केंद्रीय एवं राज्य विधानों का अनुपालन करने की अपेक्षा करता है। कंपनी अपने संविदात्मक प्रावधानों की आवधिक समीक्षा करती है और अनुपालन-संबंधी खंडों को और सुदृढ़ करने के अवसर तलाश रही है।



10. वर्ष के लिए आकलन:

आपके उन संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका आकलन किया गया (संस्था अथवा सांविधिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)	
बाल श्रम	100
बलात/अनैच्छिक श्रम	100
लैंगिक उत्पीड़न	100
कार्यस्थल पर भेदभाव	100
मजदूरी	100
अन्य – कृपया विनिर्दिष्ट करें	100

11. उपर्युक्त प्रश्न 10 के आकलनों से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान हेतु की गई अथवा जारी सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1 मानवाधिकार संबंधी शिकायतों/परिवादों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रारंभ की जा रही किसी व्यवसाय प्रक्रिया का विवरण।

एमडीएल कर्मचारियों और हितधारकों को मानवाधिकारों तथा कार्यस्थल पद्धतियों से संबंधित चिंताएं संप्रेषित करने हेतु सुगम माध्यम प्रदान करके खुलेपन और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देता है। कंपनी अपने मानवाधिकार ढांचे को सुदृढ़ करने और विकसित हो रही विनियामकीय तथा हितधारक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के अवसर चिह्नित करने हेतु अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षा करती है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ऐसी कोई महत्वपूर्ण चिंता अथवा परिस्थिति चिह्नित नहीं हुई जिसके कारण विद्यमान प्रक्रियाओं में संशोधन आवश्यक होता।

2 किए गए किसी मानवाधिकार संबंधी सम्यक तत्परता के दायरे और कवरेज का विवरण।

कंपनी ने अभी अपने परिचालनों में औपचारिक मानवाधिकार संबंधी सम्यक तत्परता ढांचा लागू नहीं किया है। तथापि, एमडीएल ऐसे दृष्टिकोण के महत्व को स्वीकार करता है और अपने जारी प्रयासों के भाग के रूप में उसकी प्रयोज्यता एवं व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने का आशय रखता है।

3 क्या संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुगम्य है?

एमडीएल दिव्यांगजनों सहित सभी आगंतुकों के लिए समावेशी और सुगम्य परिवेश विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने परिसरों में सुगम पहुंच और गतिशीलता में सहायता हेतु कंपनी ने प्रमुख प्रवेश-बिंदुओं पर रैंप, गतिशीलता सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर और सुरक्षा एवं सुविधा बढ़ाने हेतु उपयुक्त स्थानों पर हैंडरेल सहित विभिन्न सुगम्यता सुविधाएं लागू की हैं। कंपनी सभी हितधारकों के लिए सुगम्यता सुदृढ़ करने और बाधा-मुक्त परिवेश को बढ़ावा देने हेतु और सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन का विवरण:

आकलित मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर)	
लैंगिक उत्पीड़न	एमडीएल अपनी निविदा और खरीद दस्तावेजीकरण में लागू अनुपालन दायित्व समाहित करता है तथा आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों से निर्धारित संविदात्मक एवं सांविधिक अपेक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करता है। वर्तमान में मूल्य श्रृंखला भागीदारों का औपचारिक आकलन नहीं किया जाता। तथापि, कंपनी इस पहलू की समीक्षा करने और आगामी वर्षों में मूल्य श्रृंखला अभिशासन को और सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त आकलन ढांचे को चरणबद्ध रूप से अपनाने की संभावनाएं तलाशने का प्रस्ताव रखती है।
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
बलात श्रम/अनैच्छिक श्रम	
मजदूरी	
अन्य – कृपया विनिर्दिष्ट करें	

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 के आकलनों से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान हेतु की गई अथवा जारी सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।



खंड सी: सिद्धांत-वार निष्पादन प्रकटीकरण



सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा उसके संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयास करने चाहिए

अनिवार्य संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल अथवा उसके गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में: (एमजे)*

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछले वित्तीय वर्ष
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल विद्युत खपत (ए)	2,74,69,619.93	1,63,99,104.23
कुल ईंधन खपत (बी)	-	-
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (सी)	-	-
नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)	2,74,69,619.93	1,63,99,104.23
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल विद्युत खपत (डी)	3,22,83,407.99	3,96,57,540.60
कुल ईंधन खपत (ई)	34,59,190.53	14,46,680.28
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (एफ)	-	-
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	3,57,42,598.52	4,11,04,220.87
खपत की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	6,32,12,218.44	5,75,03,325.10
कारोबार के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (खपत की गई कुल ऊर्जा/परिचालनों से राजस्व) (एमजे/रुपया)	0.00049	0.00050
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (खपत की गई कुल ऊर्जा/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व) (एमजे/यूएसडी) **	0.010	0.010
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता #	एमडीएल एक साझा शिपयार्ड में अनेक युद्धपोत, पनडुब्बी और मरम्मत परियोजनाएं एक साथ निष्पादित करता है। चूंकि विद्युत और अन्य संसाधनों का उपयोग विभिन्न परियोजनाओं में किया जाता है, इसलिए प्रत्येक उत्पाद के लिए ऊर्जा खपत अलग से मापना संभव नहीं है। अतः कंपनी अपने कुल कारोबार के आधार पर समग्र ऊर्जा तीव्रता रिपोर्ट करती है।	
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – संस्था प्रासंगिक माप का चयन कर सकती है	-	-

*उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग बी, विशेषता 3 के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

**उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग ए, खंड 1(I) के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।



#उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग ए, खंड 1(II) के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

ब्यूरो वेरिटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

- क्या संस्था में कोई ऐसा स्थल/सुविधा है जिसे भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि एवं व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में चिह्नित किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो प्रकट करें कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। लक्ष्य प्राप्त न होने की स्थिति में की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

यह अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि एमडीएल पीएटी योजना के दायरे में नहीं आता और तदनुसार उसके अंतर्गत निर्धारित दायित्वों का अनुपालन करना उसके लिए आवश्यक नहीं है।

- जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण इस प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछले वित्तीय वर्ष
स्रोत के अनुसार जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	-	-
(ii) भूजल	-	6,000
(iii) तृतीय पक्ष जल	3,32,489 [^]	3,75,718
(iv) समुद्री जल/विलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	3,32,489	3,81,718
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में) *	66,497.80	77,414.80
कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता (कुल जल खपत/परिचालनों से राजस्व) (केएल/रुपया)	0.00000052	0.00000068
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता (केएल/यूएसडी) # (कुल जल खपत/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व)	0.000011	0.000014
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल तीव्रता #	चूंकि साझा संसाधनों का उपयोग करके अनेक परियोजनाएं एक साथ निष्पादित की जाती हैं, इसलिए जल खपत को उत्पाद-वार आधार पर नहीं मापा जा सकता। अतः कंपनी अपने समग्र कारोबार के आधार पर जल तीव्रता रिपोर्ट करती है।	
जल तीव्रता (वैकल्पिक) – संस्था प्रासंगिक माप का चयन कर सकती है	-	-

*रिपोर्ट की गई जल खपत इस धारणा का उपयोग करके निकाली गई है कि निकाले गए कुल जल का 20% कंपनी द्वारा खपत किया जाता है।

#उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग ए, खंड 1(II) के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

[^]मार्च 2026 की जल खपत का अनुमान पिछले 11 महीनों की औसत खपत के आधार पर लगाया गया है, क्योंकि बीआरएसआर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के समय मार्च 2026 का वास्तविक डेटा उपलब्ध नहीं था।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

ब्यूरो वेरिटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड



4. निर्वहित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछले वित्तीय वर्ष
गंतव्य और शोधन स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में	0	0
- बिना शोधन		
- शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर विनिर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल में	0	0
- बिना शोधन		
- शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर विनिर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल में	0	0
- बिना शोधन		
- शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर विनिर्दिष्ट करें		
(iv) तृतीय पक्षों को भेजा गया		
- बिना शोधन*	2,65,991.20	3,04,303.20
- शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर विनिर्दिष्ट करें		
(v) अन्य (नगरपालिका सीवर)	0	0
- बिना शोधन		
- शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर विनिर्दिष्ट करें		
निर्वहित कुल जल (किलोलीटर में)	2,65,991.20	3,04,303.20

*रिपोर्ट किया गया निर्वहित जल इस धारणा का उपयोग करके निकाला गया है कि निकाले गए कुल जल का 80% कंपनी द्वारा निर्वहित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के जल संबंधी प्रकटीकरण शोधित जल की वास्तव में मापी गई मात्रा पर आधारित हैं। कंपनी द्वारा अपनाई गई रिपोर्टिंग पद्धति में शोधित जल को पूर्णतः पुनर्चक्रित माना जाता है और फलस्वरूप निर्वहित जल की मात्रा निर्धारित करते समय उसे कुल जल निकासी से बाहर रखा जाता है, जिससे रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की सटीकता में सुधार होता है।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

ब्यूरो वेरिटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

5 क्या संस्था ने शून्य द्रव निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो उसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

हां। उत्तरदायित्वपूर्ण जल प्रबंधन को बढ़ावा देने और अपशिष्ट जल निर्वहन को न्यूनतम करने के लिए एमडीएल वित्तीय वर्ष 2016-17 से अपनी पनडुब्बी अनुभाग असेंबली कार्यशाला में शून्य द्रव निर्वहन (जेडएलडी) प्रणाली संचालित कर रहा है। यह सुविधा सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी), ग्रे वाटर शोधन इकाई और तेल-दूषित जल शोधन प्रणाली जैसी समर्पित शोधन प्रणालियों के माध्यम से जल की पुनः प्राप्ति और पुनः उपयोग को अधिकतम करने के लिए तैयार की गई है।

अपशिष्ट जल शोधन अवसंरचना में 2 m³/घंटा शोधन क्षमता वाला सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) शामिल है, जो बीओडी, सीओडी और निलंबित ठोस पदार्थों सहित प्रमुख प्रदूषकों को कम करके घरेलू सीवेज का शोधन करता है। हाइपोक्लोराइट मात्रा-निर्धारण प्रणाली का उपयोग करके विसंक्रमण के पश्चात शोधित जल का गैर-पेय अनुप्रयोगों में पुनः उपयोग किया जाता है।

सुविधा में उत्पन्न ग्रे वाटर का 4 m³/घंटा क्षमता वाली समर्पित प्रणाली के माध्यम से शोधन किया जाता है। शोधन प्रक्रिया में विसंक्रमण के बाद बालू और सक्रिय कार्बन फिल्टरों का उपयोग करके बहु-चरणीय निस्संयंदन शामिल है, जिससे पुनः प्राप्त जल का परिचालन प्रयोजनों में पुनः उपयोग संभव होता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी परिचालनों के दौरान उत्पन्न तैलीय अपशिष्ट जल के प्रसंस्करण हेतु 5 m³/घंटा शोधन क्षमता वाली तेल-दूषित जल शोधन प्रणाली संचालित करती है। इस प्रणाली में संग्रह नाबदान, स्थानांतरण पंप, नालीदार प्लेट अवरोधक, तेल पहचान संवेदक और शोधित जल धारण टैंक शामिल हैं, जो जल से तेल के दक्ष पृथक्करण को सुगम बनाते हैं तथा ऐसे शोधित जल की पुनः प्राप्ति और पुनः उपयोग संभव करते हैं जिसे अन्यथा निर्वहित कर दिया जाता।



6. कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अतिरिक्त) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	कृपया इकाई विनिर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष
NOx	-	पोत-निर्माण गतिविधियों से न्यूनतम उत्सर्जन उत्पन्न होता है। तथापि, कंपनी SOx, NOx, CO, PM10 और PM2.5 सहित परिवेशी वायु गुणवत्ता मापदंडों की तिमाही आधार पर निगरानी करती है।	
SOx	-		
कणीय पदार्थ (पीएम)	-		
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	-		
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	-		
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	-		
अन्य – कृपया विनिर्दिष्ट करें	-		

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं। नहीं

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) एवं उसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: *

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (उपलब्ध होने पर जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन) **	CO2 समतुल्य के मीट्रिक टन	270.56	594.84
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (उपलब्ध होने पर जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन) ***	CO2 समतुल्य के मीट्रिक टन	6367.01	10,282.39
कारोबार के प्रति रुपये कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालनों से राजस्व, करोड़ में)	CO2 समतुल्य के मीट्रिक टन/रु.	0.000000050	0.00000010
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व) #	CO2 समतुल्य के मीट्रिक टन/यूएसडी	0.0000011	0.0000020
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता ##	-	चूंकि पोत-निर्माण में मुख्यतः फैब्रिकेशन गतिविधियां शामिल होती हैं, इसलिए चिमनी उत्सर्जन नगण्य हैं और उनकी निगरानी नहीं की जाती। तथापि, कंपनी अपनी पर्यावरण प्रबंधन पद्धतियों के भाग के रूप में SOx, NOx, CO, PM10 और PM2.5 सहित परिवेशी वायु गुणवत्ता मापदंडों की तिमाही आधार पर निगरानी करती है।	
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – संस्था प्रासंगिक माप का चयन कर सकती है	-	-	-

*उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग बी, विशेषता 1 के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) कोर संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

**गतिशील दहन स्रोतों से संबंधित स्कोप 1 उत्सर्जन का परिमाणन इंडिया जीएचजी प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित “भारत-विशिष्ट सड़क परिवहन उत्सर्जन कारक” में निर्धारित उत्सर्जन कारकों का उपयोग करके किया गया है और इसमें प्रशीतकों



को पुनः भरने से होने वाला उत्सर्जन भी शामिल है। फोर्कलिफ्ट, चेरी पिकर, एसपीएमटी और क्रेन सहित सड़क से इतर उपकरणों के उत्सर्जन को स्कोप 1 सूची में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अपेक्षित गतिविधि डेटा, विशेष रूप से तय की गई दूरी, उपलब्ध नहीं था। संपूर्ण उत्सर्जन सूची में पद्धतिगत एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए इन स्रोतों को वर्तमान रिपोर्टिंग सीमा से बाहर रखा गया है।

*** उपर्युक्त गणनाओं के लिए अपनाई गई पद्धति भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जारी भारतीय विद्युत क्षेत्र हेतु CO₂ आधाररेखा डेटाबेस – उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका (संस्करण 20.0, दिसंबर 2024) में विनिर्दिष्ट अद्यतन ग्रिड उत्सर्जन कारकों पर आधारित है।

#उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग ए, खंड 1(I) के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

##उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग ए, खंड 1(II) के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

ब्यूरो वेरिटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

8. क्या संस्था की ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।

1. ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण पहलें

ऊर्जा निष्पादन में सुधार और ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन घटाने की अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) अपने परिचालनों में ऊर्जा खपत को अनुकूलतम करने पर केंद्रित पहलें लागू करना जारी रखे हुए है। कंपनी ने संसाधन दक्षता बढ़ाने और अपने कार्बन-मुक्ति उद्देश्यों को समर्थन देने के उद्देश्य से अनेक ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकियां और परिचालन संबंधी सुधार अपनाए हैं। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ऊर्जा-दक्ष वेल्डिंग उपकरणों की तैनाती:** पारंपरिक वेल्डिंग मशीनों को क्रमशः इन्वर्टर-आधारित वेल्डिंग उपकरणों और रेक्टिफायरों से बदला गया है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा दक्षता में सुधार और विद्युत खपत में कमी हुई है।
- **बीएलडीसी पंखों की स्थापना:** परिचालन निष्पादन बनाए रखते हुए विद्युत खपत घटाने के लिए विभिन्न सुविधाओं में ऊर्जा-दक्ष ब्रशलेस डायरेक्ट करंट (बीएलडीसी) सीलिंग और पेंडेंटल पंखे लगाए गए हैं।
- **एलईडी प्रकाश व्यवस्था की ओर संक्रमण:** कंपनी ने ऊर्जा दक्षता सुधारने, विद्युत मांग घटाने और प्रकाश निष्पादन बढ़ाने के लिए फ्लडलाइट, स्ट्रीटलाइट और बैटन लाइट सहित एलईडी प्रकाश समाधानों का उपयोग बढ़ाया है।
- **वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) की स्थापना:** परिचालन अपेक्षाओं के अनुसार मोटर की गति विनियमित करके उपकरण निष्पादन को अनुकूलतम करने और इस प्रकार ऊर्जा हानि न्यूनतम करने हेतु मोटरों और पंपों के लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगाए गए हैं।
- **उच्च-दक्षता वाली वातानुकूलन प्रणालियां अपनाना:** 5-स्टार रेटेड वातानुकूलन इकाइयों की स्थापना ने ऊर्जा खपत घटाने और परिचालन दक्षता सुधारने में योगदान दिया है तथा साथ ही विद्युत उपयोग से जुड़े अप्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया है।

2. नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्थायी विकास पहलें

- **एमडीएल नवीकरणीय ऊर्जा और स्थायी अवसंरचना में निवेश के माध्यम से कम-कार्बन परिचालनों की ओर अपने संक्रमण को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपने परिचालनों में स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने और अपनी दीर्घकालिक जलवायु प्रतिबद्धताओं को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित पहलें कीं:
- **हरित विद्युत की खरीद:** कंपनी ने नवीकरणीय विद्युत का हिस्सा अपनी समग्र विद्युत खपत के 50% तक बढ़ाने के उद्देश्य से हरित ऊर्जा टैरिफ के अंतर्गत विद्युत की खरीद आरंभ की है। यह पहल कंपनी की कार्बन-मुक्ति रणनीति को समर्थन देती है और स्कोप 2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने में योगदान करती है।
- **रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना:** एमडीएल ने 1,375-किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) किया है। इस परियोजना से कंपनी के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो के बढ़ने, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटने तथा दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और उत्सर्जन में कमी में योगदान की अपेक्षा है।



9. संस्था के अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: *

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछले वित्तीय वर्ष
उत्पन्न कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	134	161
ई-अपशिष्ट (बी)	-	-**
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	0.061	0.10
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (डी)	7,535^	66,000
बैटरी अपशिष्ट (ई)	7.02	2.20
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	-	-
अन्य खतरनाक अपशिष्ट (तेल-सोखा सूती अपशिष्ट, डीजी फिल्टर, पेंट के डिब्बे, रसायन के डिब्बे, पेंट अवशेष, तेल कीचड़, डीजी चिमनी की कालिख, शीतलक तेल और प्रयुक्त तेल)। यदि कोई हो, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें। (जी)	27.46	-
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच)। यदि कोई हो, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें। (संघटन के अनुसार विभाजन, अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों के अनुसार)	-	-
1. लकड़ी का अपशिष्ट (स्क्रेप, लकड़ी के लट्टे)	86.495	625.80
2. इस्पात अपशिष्ट (एमएस स्क्रेप, एसएस स्क्रेप)	2782.02	2,894.68
3. एल्युमीनियम अपशिष्ट (स्क्रेप, केबल अपशिष्ट)	47.325	18.68
4. तांबा अपशिष्ट (स्क्रेप, केबल स्क्रेप)	62.17	16.00
5. पीतल स्क्रेप	5	-
6. Cu-Ni स्क्रेप	-	8.00
7. कूड़ा और रद्दी (प्लास्टिक अपशिष्ट को छोड़कर)	787.93	646
कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	11474.48	70,372.46
कारोबार के प्रति रुपये अपशिष्ट तीव्रता (उत्पन्न कुल अपशिष्ट/परिचालनों से राजस्व) (एमटी/रुपया)	0.000000089	0.00000062
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये अपशिष्ट तीव्रता # (उत्पन्न कुल अपशिष्ट/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व) (एमटी/यूएसडी)	0.0000018	0.000013
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता ##	एमडीएल एक साझा शिपयार्ड सुविधा में अनेक युद्धपोत, पनडुब्बी और मरम्मत परियोजनाएं एक साथ निष्पादित करता है। चूंकि अवसंरचना और संसाधन परियोजनाओं में साझा होते हैं, इसलिए अपशिष्ट उत्पादन को अलग-अलग उत्पादों में सटीक रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता। तदनुसार, उत्पाद-वार अपशिष्ट तीव्रता निर्धारित नहीं की जा सकती। तथापि, कंपनी अपने समग्र कारोबार के आधार पर अपशिष्ट तीव्रता रिपोर्ट करती है।	
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) – संस्था प्रासंगिक माप का चयन कर सकती है	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग अथवा अन्य पुनः प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनः प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		



मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछले वित्तीय वर्ष
अपशिष्ट श्रेणी - प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट एवं अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित - प्लास्टिक अपशिष्ट एवं कूड़ा और रद्दी	407.06	645.60
(ii) पुनः प्रयुक्त	35.9	-
(iii) अन्य पुनः प्राप्ति परिचालन - एमपीसीबी ठेकेदारों को बेचा गया (बैटरी अपशिष्ट)	7.029	2.20
कुल	449.98	647.80
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट श्रेणी - जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट और अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण - जैव-चिकित्सा अपशिष्ट एवं कूड़ा और रद्दी	-	161.50
(ii) भू-भराव	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन - नीलाम किया गया (लकड़ी अपशिष्ट, इस्पात अपशिष्ट, एल्युमीनियम अपशिष्ट, तांबा अपशिष्ट, पीतल स्कैप, Cu-Ni स्कैप)	3252.075	3,563.15
(iv) अन्य निपटान परिचालन - ठेकेदार द्वारा एकत्र करके वापस ले जाया गया (निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट)	7,772.425	66,000
कुल	11,024.5	69,724.65

*उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग बी, विशेषता 4 के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

**रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उत्पन्न ई-अपशिष्ट का अभी निपटान नहीं किया गया है और वर्तमान में उसे प्राधिकृत माध्यमों से निपटान हेतु भंडारित किया जा रहा है। संबंधित निपटान डेटा अगली रिपोर्टिंग अवधि में निपटान प्रक्रिया पूरी होने पर रिपोर्ट किया जाएगा।

#उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग ए, खंड 1(I) के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

##उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग ए, खंड 1(II) के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

^रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण निर्माण अथवा विध्वंस गतिविधि नहीं की गई; फलस्वरूप निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

ब्यूरो वेरिटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

- 10 अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक एवं विषाक्त रसायनों का उपयोग घटाने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन करें। एमडीएल ने अपने परिचालनों में उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 से शिपयार्ड में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से किया गया है, जिससे कंपनी अतिरिक्त व्यय किए बिना शून्य-कूड़ा स्थिति बनाए रखने में सक्षम हुई है।



कंपनी ने अपने परिचालनों के दौरान उत्पन्न विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्ट और स्क्रेप के पृथक्करण, संग्रह, भंडारण और निपटान हेतु परिभाषित प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। लौह एवं अलौह धातुओं, एल्युमीनियम, तांबे, लकड़ी, रबर, कागज, फर्नीचर तथा अन्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों सहित संचित स्क्रेप के आवधिक निपटान हेतु समर्पित संविदाएं लागू हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को बाद में छंटाई, पुनर्चक्रण और संसाधन पुनः प्राप्ति हेतु प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं एवं एनजीओ भागीदारों के माध्यम से नियमित आधार पर अलग से एकत्र किया जाता है।

प्रभावी स्रोत पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट हेतु परिसरों में उपयुक्त लेबल वाले संग्रह पात्र लगाए गए हैं। धातु और लकड़ी के स्क्रेप जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का निपटान कंपनी के निपटान प्रकोष्ठ द्वारा प्रबंधित संचित आंतरिक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिससे पारदर्शिता, अनुरेखणीयता और लागू अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का अनुपालन सुनिश्चित होता है।

11. यदि संस्था के परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, आर्द्रभूमि, जैवविविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास स्थित हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृतियां आवश्यक हैं, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण विनिर्दिष्ट करें:

क्र. सं.	परिचालनों/कार्यालयों का स्थान	परिचालनों का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
	कंपनी के परिचालन किसी पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील अथवा पर्यावरणीय रूप से संरक्षित क्षेत्र में या उसके आसपास स्थित नहीं हैं। तदनुसार, एमडीएल ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं पर विशेष रूप से लागू पर्यावरणीय अनुमोदनों, अनुज्ञाओं अथवा विनियामकीय स्वीकृतियों के अधीन नहीं है।		

12. वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू विधियों के आधार पर संस्था द्वारा की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलनों का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना सं.	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक क्षेत्र में संप्रेषित किए गए (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी ने लागू पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) ढांचे के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित करने वाली कोई परियोजना नहीं की।					

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय विधियों/विनियमों/दिशानिर्देशों, जैसे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों का अनुपालन करती है (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

क्र. सं.	उस विधि/विनियम/दिशानिर्देश को विनिर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों जैसी विनियामकीय एजेंसियों अथवा न्यायालयों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/दंड/की गई कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
हां। कंपनी भारत में अपने परिचालनों को शासित करने वाली लागू पर्यावरणीय विधियों, विनियमों और सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।				

नेतृत्व संकेतक

1. जल-संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):
जल-संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
- (i) क्षेत्र का नाम शून्य
 - (ii) परिचालनों की प्रकृति शून्य



(iii) जल निकासी, खपत और निर्वहन निम्नलिखित प्रारूप में:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछले वित्तीय वर्ष		
स्रोत के अनुसार जल निकासी (किलोलीटर में)				
(i) सतही जल	शून्य। कंपनी जल-संकट वाले क्षेत्रों में स्थित परिचालनों से जल निकासी, खपत अथवा निर्वहन नहीं करती।			
(ii) भूजल				
(iii) तृतीय पक्ष जल				
(iv) समुद्री जल/विलवणीकृत जल				
(v) अन्य				
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)				
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)				
कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता (खपत किया गया जल/कारोबार)				
जल तीव्रता (वैकल्पिक) – संस्था प्रासंगिक माप का चयन कर सकती है				
गंतव्य और शोधन स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)				
(i) सतही जल में	शून्य। कंपनी जल-संकट वाले क्षेत्रों में स्थित परिचालनों से जल निकासी, खपत अथवा निर्वहन नहीं करती।			
- बिना शोधन				
- शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर विनिर्दिष्ट करें				
(ii) भूजल में				
- बिना शोधन				
- शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर विनिर्दिष्ट करें				
(iii) समुद्री जल में				
- बिना शोधन				
- शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर विनिर्दिष्ट करें				
(iv) तृतीय पक्षों को भेजा गया				
- बिना शोधन				
- शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर विनिर्दिष्ट करें				
(v) अन्य				
- बिना शोधन				
- शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर विनिर्दिष्ट करें				
निर्वहित कुल जल (किलोलीटर में)				

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं)
यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

ब्यूरो वेरिटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड



2. कृपया कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: *

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछले वित्तीय वर्ष
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (उपलब्ध होने पर जीएचजी का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विभाजन) #	CO ₂ समतुल्य के मीट्रिक टन	463.71	316.19
कारोबार के प्रति रुपये कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (कुल स्कोप 3 उत्सर्जन/परिचालनों से राजस्व, करोड़ में)	CO ₂ समतुल्य के मीट्रिक टन/रु.	0.0000000036	0.0000000028
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – संस्था - प्रासंगिक माप का चयन कर सकती है	-	-	-

*स्कोप 3 जीएचजी सूची में वर्तमान में व्यावसायिक यात्रा से उत्पन्न उत्सर्जन शामिल है। गणना पद्धति में यह माना गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान की गई सभी हवाई यात्राएं एकतरफा उड़ान यात्राएं हैं।

#यह माना गया है कि सभी हवाई यात्राएं इकोनॉमी श्रेणी में की गई हैं।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं

3. उपर्युक्त अनिवार्य संकेतकों के प्रश्न 11 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में ऐसे क्षेत्रों की जैवविविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव तथा निवारण और सुधार गतिविधियों का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं। कंपनी की कोई परिचालन सुविधा अथवा कार्यालय पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में या उनके आसपास स्थित नहीं है।

4. यदि संस्था ने संसाधन दक्षता सुधारने अथवा उत्सर्जन/बहिःस्त्राव निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाला प्रभाव घटाने हेतु कोई विशिष्ट पहल की है या नवाचारी प्रौद्योगिकी अथवा समाधानों का उपयोग किया है, तो निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार ऐसी पहलों का विवरण और उनके परिणाम प्रदान करें:

क्र. सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (सारांश सहित वेब-लिंक, यदि कोई हो, प्रदान किया जा सकता है)	पहल का परिणाम
1	सीवेज शोधन प्रणाली	कंपनी ने छोटे पोतों, वाणिज्यिक पोतों और रक्षा पोतों से उत्पन्न अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उन्नत सीवेज शोधन प्रणालियां तैनात की हैं। इन सघन शोधन इकाइयों को ऐसा शोधित बहिःस्त्राव उत्पन्न करने के लिए तैयार किया गया है जो एमएआरपीओएल अनुलग्नक IV और एमईपीसी 227(64) के अंतर्गत निर्धारित निर्वहन गुणवत्ता अपेक्षाओं का अनुपालन करता है तथा उनसे पर्याप्त रूप से बेहतर है। शोधन प्रक्रिया में विद्युत-अपघटनी ऑक्सीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जिससे रासायनिक विसंक्रामकों और खतरनाक रसायनों के संबंधित भंडारण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। परिचालन विश्वसनीयता और दक्षता बढ़ाने हेतु यह प्रणाली स्वचालित नियंत्रणों तथा दूरस्थ निगरानी क्षमताओं से भी समर्थित है।	जैव - रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी) और कुल निलंबित ठोस पदार्थ (टीएसएस) में पर्याप्त कमी के माध्यम से शोधित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम हुआ।
2	ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण	एमडीएल ने अपनी सभी सुविधाओं में उत्पन्न शुष्क अपशिष्ट के लिए व्यवस्थित अपशिष्ट पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण तंत्र स्थापित किया है। प्लास्टिक सहित पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को प्राधिकृत ठेकेदारों और एनजीओ भागीदारों के माध्यम से दैनिक आधार पर एकत्र किया जाता है, जो लाभ-न-हानि मॉडल के अंतर्गत पृथक्करण करते हैं और अपशिष्ट को पुनर्चक्रण अथवा पुनः उपयोग के लिए भेजते हैं। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपशिष्ट निपटान के पर्यावरणीय पदचिह्न को घटाते हुए संसाधन पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देता है।	भू-भराव स्थलों पर निपटाए जाने वाले शुष्क अपशिष्ट की मात्रा में महत्वपूर्ण कमी।



क्र. सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (सारांश सहित वेब-लिंक, यदि कोई हो, प्रदान किया जा सकता है)	पहल का परिणाम
3	तेल-जल पृथक्करण प्रणाली	एमडीएल पोत-निर्माण और संबंधित परिचालनों के दौरान उत्पन्न तेल-दूषित अपशिष्ट जल का निर्वहन से पहले शोधन करने हेतु तेल-जल पृथक्करण (ओडब्ल्यूएस) प्रणालियों का उपयोग करता है। इन प्रणालियों को अपशिष्ट जल से तेल और अन्य दूषकों को दक्षतापूर्वक अलग करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे समुद्री प्रदूषण का जोखिम न्यूनतम होता है और जलीय पारितंत्र संरक्षित होते हैं। शोधित बहिःस्नाव अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) द्वारा निर्धारित निर्वहन सीमाओं का अनुपालन करता है, जो निर्वहनित जल में तेल की मात्रा को 5-15 अंश प्रति दस लाख (पीपीएम) की अनुमत सीमा तक प्रतिबंधित करती हैं। तेल-दूषित जल को पर्यावरण में छोड़े जाने से रोककर ओडब्ल्यूएस प्रणालियां समुद्री जैवविविधता के संरक्षण, जल संसाधनों की रक्षा और जन स्वास्थ्य के संरक्षण में योगदान देती हैं। कंपनी शोधन दक्षता बढ़ाने, पर्यावरणीय निष्पादन सुदृढ़ करने और लागू पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तेल-जल पृथक्करण प्रौद्योगिकी की प्रगति का लाभ उठाना भी जारी रखे हुए है।	तेल निर्वहन में कमी, लागू पर्यावरणीय विनियमों के बेहतर अनुपालन और स्थायी परिचालन पद्धतियों के सुदृढीकरण के माध्यम से समुद्री पर्यावरण संरक्षण में सुधार।

- 5 क्या संस्था की व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों में विवरण/वेब लिंक दें।
हां। एमडीएल ने संगठनात्मक प्रत्यास्थता सुदृढ़ करने और विघटनकारी घटनाओं के दौरान महत्वपूर्ण परिचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। यह ढांचा परिचालन जोखिमों, संभावित आपात परिदृश्यों और व्यवसाय-महत्वपूर्ण कार्यों के व्यवस्थित आकलन पर आधारित है। ढांचा स्पष्ट रूप से परिभाषित अभिशासन प्रोटोकॉल, अग्रेषण तंत्र, संचार प्रक्रियाओं और नामित प्रतिक्रिया दलों के लिए भूमिका-आधारित उत्तरदायित्वों से समर्थित संरचित घटना प्रतिक्रिया एवं पुनःप्राप्ति प्रक्रिया को रेखांकित करता है। घटना की प्रकृति, गंभीरता और स्तर के आधार पर समन्वित प्रतिक्रिया, प्रभावी संसाधन तैनाती और सामान्य व्यावसायिक परिचालनों की समयबद्ध बहाली को सुगम बनाने हेतु योजना को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सक्रिय किया जा सकता है। योजना में एक संरचित अभिशासन ढांचा शामिल है, जो संचार माध्यमों, निर्णय संबंधी उत्तरदायित्वों और नामित कर्मिकों की तैनाती को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है तथा आपात स्थितियों के दौरान समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 2033 तक विस्तारित एक गोपनीय दीर्घकालिक व्यवसाय निरंतरता परिकल्पना योजना विकसित की है, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की रणनीतिक प्राथमिकताओं और परिचालन निर्देशों के अनुरूप है।
- 6 संस्था की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न पर्यावरण पर किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। संस्था ने इस संबंध में कौन-से जोखिम-न्यूनीकरण अथवा अनुकूलन उपाय किए हैं।
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी की मूल्य श्रृंखला गतिविधियों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव नहीं देखा गया। उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण की अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में एमडीएल अनुपालन, संसाधन दक्षता और स्थायी पर्यावरणीय पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु जारी हितधारक सहभागिता, पर्यावरणीय जोखिमों के आवधिक मूल्यांकन और मूल्य श्रृंखला भागीदारों के साथ सहयोग के माध्यम से पर्यावरणीय पर्यवेक्षण को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
- 7 पर्यावरणीय प्रभावों के लिए आकलित मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर)।
लागू नहीं
- 8 कितने हरित क्रेडिट सृजित अथवा खरीदे गए हैं: *
ए. सूचीबद्ध संस्था द्वारा
6,755,608
बी. शीर्ष दस मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के संदर्भ में)।
भावी कार्यान्वयन हेतु मूल्य श्रृंखला भागीदारों की पहचान की जा रही है।
- * उपर्युक्त जानकारी सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/42, दिनांक 28 मार्च, 2025 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में प्रकट की गई है।



खंड C: सिद्धांत-वार निष्पादन प्रकटीकरण



सिद्धांत 7: सार्वजनिक एवं विनियामकीय नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते समय व्यवसायों को उत्तरदायित्वपूर्ण और पारदर्शी ढंग से ऐसा करना चाहिए

अनिवार्य संकेतक

1. ए. व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों से संबद्धताओं की संख्या।

6

बी. उन शीर्ष 10 व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों को सूचीबद्ध करें (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जिनकी संस्था सदस्य है/जिनसे संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
2	सोसाइटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजिस्ट्स (एसओडीटी)	राष्ट्रीय
3	इंडियन शिपबिल्डर्स एसोसिएशन (आईएसबीए)	राष्ट्रीय
4	सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स (एसआईडीएम)	राष्ट्रीय
5	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) (दिल्ली)	राष्ट्रीय
6	बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	राज्य

2. विनियामकीय प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था के प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी मुद्दे पर की गई अथवा जारी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के संबंध में विनियामकीय अथवा सांविधिक प्राधिकरणों से कोई प्रतिकूल आदेश प्राप्त नहीं हुआ। तदनुसार, इस प्रकटीकरण के अंतर्गत रिपोर्ट करने योग्य कोई मामला नहीं है।		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति संबंधी स्थितियों का विवरण:

क्र. सं.	समर्थित सार्वजनिक नीति	ऐसे समर्थन के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है? (हां/नहीं)	निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/ अन्य – कृपया विनिर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कंपनी सार्वजनिक नीति समर्थन से संबंधित किसी गतिविधि में संलग्न नहीं हुई।					



खंड सी: सिद्धांत-वार निष्पादन प्रकटीकरण



सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

अनिवार्य संकेतक

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू विधियों के आधार पर संस्था द्वारा की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलनों (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक क्षेत्र में संप्रेषित किए गए (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
------------------------------------	--------------------	-------------------	---	--	--------------------

लागू नहीं। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कंपनी ने लागू विनियामकीय ढांचे के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अपेक्षित करने वाली कोई परियोजना नहीं की।

- उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा जारी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) किया जा रहा है, निम्नलिखित प्रारूप में:

क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जिसके लिए आरएंडआर जारी है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आरएंडआर में शामिल पीएएफ का %	वित्तीय वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (रुपए में)
----------	--	-------	------	--	------------------------------	--

लागू नहीं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी ने ऐसी कोई परियोजना नहीं की जिस पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) की अपेक्षाएं लागू हों।

- समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्रों का वर्णन करें। कंपनी ने अपने परिचालनों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय के सदस्यों को जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से चिंताएं उठाने में सक्षम बनाने हेतु उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए हैं। एमडीएल निरंतर सहभागिता और उत्तरदायित्वपूर्ण परिचालन पद्धतियों के माध्यम से सकारात्मक सामुदायिक संबंध विकसित करने और पड़ोसी समुदायों के कल्याण की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वेब-लिंक: <https://mazagondock.in/English/Forms/PublicGrievance>

- आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट):

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	33.53	34.32
भारत के भीतर से सीधे प्राप्त	64.83	56.26

- छोटे नगरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों (स्थायी अथवा अस्थायी/संविदा आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का कुल मजदूरी लागत के % के रूप में प्रकटीकरण करें*

स्थान	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष
ग्रामीण	-	-
अर्ध-शहरी	-	-
शहरी	-	-
महानगरीय	100.00	100.00

*उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग बी, विशेषता 7 के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

(आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत स्थान - ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/महानगरीय)



नेतृत्व संकेतक

- सामाजिक प्रभाव आकलनों में चिह्नित किसी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपर्युक्त अनिवार्य संकेतकों का प्रश्न 1):

चिह्नित नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	

- सरकारी निकायों द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा की गई सीएसआर परियोजनाओं की निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: *

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	व्यय की गई राशि (रुपए में)
1	महाराष्ट्र	नंदुरबार	34,73,100/-*

*टिप्पणी: इसमें अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित रु. 23,96,404/- शामिल हैं।

- (ए) क्या आपकी कोई वरीयतापूर्ण खरीद नीति है जिसमें आप सीमांत/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को वरीयता देते हैं? (हां/नहीं)

हां। एमडीएल भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति लागू करता है। कंपनी का खरीद ढांचा खरीद अवसरों तक न्यायसंगत पहुंच प्रदान करके और निर्धारित खरीद लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। नीति के अनुरूप महिला उद्यमियों तथा अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सदस्यों के स्वामित्व वाले एमएसई पर भी उचित विचार किया जाता है, जिससे आपूर्तिकर्ता विविधता और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इन उपायों के माध्यम से कंपनी प्रत्यास्थ, प्रतिस्पर्धी और स्थायी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करते हुए घरेलू एमएसएमई पारितंत्र की वृद्धि में सहायता करती है।

- (बी) आप किन सीमांत/कमजोर समूहों से खरीद करते हैं?

कंपनी की खरीद पद्धतियां सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप हैं, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उद्यमियों तथा महिला उद्यमियों को वरीयतापूर्ण खरीद अवसर प्रदान करती है।

- (सी) कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) में इसका कितना प्रतिशत है?

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कंपनी की कुल खरीद का 33.53% सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से प्राप्त किया गया। कुल खरीद में एससी/एसटी-स्वामित्व वाले एमएसई और महिला-स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद क्रमशः 0.08% और 1.73% रही।

- पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था के स्वामित्व वाली अथवा अर्जित बौद्धिक संपदाओं से (वर्तमान वित्तीय वर्ष में) प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

क्र. सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व वाली/ अर्जित (हां/नहीं)	लाभ साझा किया गया (हां/नहीं)	लाभ के हिस्से की गणना का आधार
	यह प्रस्तुत किया जाता है कि आज तक ऐसी बौद्धिक संपदाओं से कोई मौद्रिक अथवा गैर-मौद्रिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। फलस्वरूप, लाभ साझा करने की कोई व्यवस्था अथवा वितरण नहीं किया गया है।			

- पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से जुड़े बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई अथवा जारी सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण।

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		



6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना शीर्षक	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का %
1	महाराष्ट्र राज्य महिला परिषद (एमएसडब्ल्यूसी) के आशा सदन बालगृह एवं आधार गृह, उमरखाडी, मुंबई की स्वास्थ्य, चिकित्सा और पोषण परियोजना के लिए सहायता।	150	100%
2	होम फॉर द मेंटली डिफिशिएंट चिल्ड्रन, मुंबई में बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक कर्मचारियों/जनशक्ति के वेतन हेतु सहायता	265	100%
3	नवी मुंबई के श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग (सीएचडी) से पीड़ित 150 बच्चों के उपचार और शल्यक्रियाओं हेतु सहायता	150	100%
4	रायपुर के श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग (सीएचडी) से पीड़ित 150 बच्चों के उपचार और शल्यक्रियाओं हेतु सहायता	150	100%
5	मुंबई के सरकारी अस्पताल में प्रतिदिन 950 भोजन हेतु सहायता	49550	70%
6	सायन, मुंबई में कैंसर रोगियों और उनके परिचारकों के लिए पोषण सहायता	9720	90%
7	खारघर, नवी मुंबई में कैंसर रोगियों के आश्रय गृह के संचालन व्यय हेतु सहायता	1627	90%
8	सिलवासा में सैनिक स्कूल (नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री अकादमी) में भोजन कक्ष का निर्माण	323	55%
9	मापुसा-गोवा में दिव्यांगजनों हेतु आस्था उत्कृष्टता केंद्र की चिकित्सा इकाइयों को उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सहायता	550	100%
10	सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज एवं केईएम अस्पताल, मुंबई के शल्य जठरांत्र विज्ञान विभाग को कैविटेटरी अल्ट्रासोनिक सक्शन एंड एस्पिरेटर-सीयूएसए तथा प्लास्टिक सर्जरी विभाग को मल्टीप्लेटफॉर्म लेजर हेतु सहायता।	110	70%
11	एलटीएमजी सायन अस्पताल, मुंबई के श्वसन चिकित्सा विभाग में मीडियास्टाइनल लसीका ग्रंथि नमूना लेने हेतु पारंपरिक ट्रांसब्रॉन्कियल नीडल एस्पिरेशन (सी-टीबीलागू नहीं) के लिए सहायता	0*	-
12	रक्ताल्पता से निपटने हेतु नंदुरबार जिले में एएनसी और स्वास्थ्य उप-केंद्रों के लिए डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर तथा आशा कार्यकर्ताओं के लिए परीक्षण पट्टियों की खरीद एवं वितरण	41666	90%
13	टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई में रोबोटिक सर्जरी उपकरणों और लैप्रोस्कोपिक उपकरणों के लिए सहायता	580	60%
14	पूर्व-सैनिकों, नौसेना कर्मिकों की विधवाओं और आश्रितों के लिए पश्चिमी नौसेना कमान के अधीन इकाइयों में नियोजित विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं हेतु सहायता	40000	60%
15	जिला रोगी कल्याण समिति (जेआरकेएस), सिविल अस्पताल, हरदा जिला (म.प्र.) में एएलएस एम्बुलेंस की 02 इकाइयों हेतु सहायता	220	70%
16	एम्स रायपुर में 15 उच्च-स्तरीय रोगी ट्रॉलियों की खरीद हेतु सहायता।	3600	70%
17	खराडे क्षेत्र के 41 विद्यार्थियों (एमडीएल सुपर 25) की भोंसला मिलिट्री स्कूल (बीएमएस), नागपुर में शिक्षा हेतु सहायता	41	100%
18	गोवा में 150 अनाथ एवं निर्धन बच्चों की देखभाल और शिक्षा	150	100%



क्र. सं.	परियोजना शीर्षक	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का %
19	आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तथा कृष्णा, एलुरु, गुंटूर एवं एनटीआर जिलों की ग्रामीण और शहरी मलिन वस्तियों में 110 अभ्यासिकाओं (ट्यूशन केंद्रों) के संचालन हेतु सहायता	3300	100%
20	युवाओं को शिक्षित करने और उनमें जागरूकता उत्पन्न करने हेतु बिहार के पूर्वी चंपारण में ऐतिहासिक नेताओं के मोम संग्रहालय एवं वीडियो फिल्म प्रदर्शन के लिए सहायता	15000	@
21	माधव ग्राम भारती शिक्षा समिति द्वारा हरदा जिले (म.प्र.) के 15 ग्रामीण विद्यालयों के डिजिटलीकरण हेतु सहायता।	1751	90%
22	एमडीएल में शिक्षु प्रशिक्षण विद्यालय (एटीएस) और पीएम इंटरशिप योजना में वजीफा सहायता एवं प्रशिक्षकों का वेतन	220	46%
23	नौसेना असैनिक आवास कॉलोनी (एनसीएचसी), पवई में सखी प्रकोष्ठ भवन का विस्तार	0*	-
24	मुंबई में 200 महिलाओं के कौशल-विकास हेतु सहायता: इनक्यूबेशन, कौशल-विकास एवं उद्यमिता	200	70%
25	सीयूएसएटी, कोच्चि में अकादमिक खंड हेतु सहायता	0*	-
26	आईआईटी बॉम्बे के साथ रक्षा पारितंत्र विकसित करने हेतु अनुसंधान-आधारित परियोजनाएं	0#	-
27	आईआईटी हैदराबाद के साथ रक्षा पारितंत्र विकसित करने हेतु अनुसंधान-आधारित परियोजना	0#	-
28	आईआईटी इंदौर के साथ रक्षा पारितंत्र विकसित करने हेतु अनुसंधान-आधारित परियोजनाएं	0#	-
29	आईआईटी मद्रास में अत्याधुनिक परिसंचारी जल टैंक सुरंग का निर्माण	0#	-
30	अनुसंधान-आधारित परियोजना हेतु नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (लागू नहींमएफ) को सहायता	0#	-
31	एमडीएल के निकट स्वच्छ भारत एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां	600	90%
32	लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर हेतु अंशदान	0^	-
33	पीएमकेयर्स निधि में अंशदान	0\$	-
34	स्वच्छ भारत कोष, जीओआई में अंशदान	0\$	-
35	स्वच्छ गंगा निधि, जीओआई में अंशदान	0\$	-

टिप्पणी 1: * बहुवर्षीय/जारी परियोजनाएं जिन्होंने 31.03.2026 को कोई मापनीय चरण प्राप्त नहीं किया है और इसलिए इस स्तर पर लाभार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती।

टिप्पणी 2: # अनुसंधान-आधारित परियोजनाओं में लाभार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती।

टिप्पणी 3: ^ परियोजना 31.03.26 को पूरी नहीं हुई थी और इस स्तर पर लाभार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती।

टिप्पणी 4: \$ भारत सरकार की निधियों में अंशदान, जिनके लिए लाभार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती।

टिप्पणी 5: @ कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सार्वजनिक उद्यान में स्थित सुविधा है।



खंड सी: सिद्धांत-वार निष्पादन प्रकटीकरण



सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से सहभागिता करनी चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

अनिवार्य संकेतक

- उपभोक्ता शिकायतें और प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने तथा उनका उत्तर देने हेतु उपलब्ध तंत्रों का वर्णन करें।
कंपनी ने भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के अनुरूप संरचित ग्राहक शिकायत एवं प्रतिक्रिया प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। समयबद्ध समाधान और निरंतर सुधार को सुगम बनाने हेतु ग्राहक प्रतिक्रिया तथा परिचालन संबंधी चिंताओं का आवधिक समीक्षा बैठकों और स्थापित संचार माध्यमों के जरिए समाधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वारंटी और गारंटी दायित्वों के पर्यवेक्षण हेतु समर्पित गारंटी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सुपुर्दगी-पश्चात दोषों और निष्पादन-संबंधी मुद्दों का लागू संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के अनुसार समाधान किया जाए।
रक्षा परियोजनाओं की रणनीतिक एवं गोपनीय प्रकृति को देखते हुए सभी ग्राहक परस्पर क्रियाएं, अभिलेख और संबंधित दस्तावेजीकरण भारतीय नौसेना के सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा दिशानिर्देशों के अनुसार कठोर गोपनीयता के साथ रखे जाते हैं।
- सभी उत्पादों/सेवाओं के कारोबार के प्रतिशत के रूप में उन उत्पादों और/अथवा सेवाओं का कारोबार जिन पर निम्नलिखित जानकारी होती है:

कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में

उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय एवं सामाजिक मापदंड

सुरक्षित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग

100%

पुनर्चक्रण और/अथवा सुरक्षित निपटान

- निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2024-25 पिछले वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष की समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष की समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित	टिप्पणियां
डेटा निजता	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
विज्ञापन	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
साइबर सुरक्षा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अनिवार्य सेवाओं की सुपुर्दगी	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियां	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अनुचित व्यापार पद्धतियां	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अन्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कुल	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

- सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण उत्पादों को वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

	संख्या	वापस मंगाने के कारण
स्वैच्छिक रूप से वापस मंगाना	शून्य	लागू नहीं
अनिवार्य रूप से वापस मंगाना		

- क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा निजता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां। एमडीएल के पास साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण एवं निजता से संबंधित जोखिमों पर एक ढांचा एवं नीति है। एमडीएल ने आईएसओ 27001:2022 के अनुरूप व्यापक साइबर सुरक्षा और डेटा निजता ढांचा लागू किया है। इस ढांचे



में सूचना वर्गीकरण, डेटा हानि निवारण, भूमिका-आधारित पहुंच नियंत्रण, कूटलेखन, हटाने योग्य मीडिया का सुरक्षित प्रबंधन, आवधिक सुरक्षा लेखा-परीक्षाएं और वीएपीटी, कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम, नियमित जोखिम आकलन, विक्रेता साइबर जोखिम प्रबंधन, केंद्रीकृत पैच प्रबंधन तथा सूचना परिसंपत्तियों की रक्षा और साइबर सुरक्षा जोखिमों को न्यूनतम करने हेतु एसआईईएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सतत निगरानी शामिल हैं।

नीति में निहित जानकारी की गोपनीय और रणनीतिक प्रकृति को देखते हुए यह केवल आंतरिक उपयोग हेतु है और इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाशित नहीं की गई है। तदनुसार, नीति का वेब लिंक प्रदान नहीं किया गया है। यह नीति सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए कंपनी के इंटरनेट पर उपलब्ध है।

- 6 विज्ञापन और अनिवार्य सेवाओं की सुपुर्दगी; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा निजता; उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर विनियामकीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए दंड/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई अथवा जारी सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।

शून्य

- 7 डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

ए. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या।

शून्य

बी. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी वाले डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत*

शून्य

सी. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो

सर्ट-इन को रिपोर्ट की गई घटनाएं केवल संदिग्ध मेलों से संबंधित हैं और उन्हें बिना किसी प्रभाव वाले स्पैम मेल के रूप में चिह्नित किया गया है।

*उपर्युक्त प्रकटीकरण भाग बी, विशेषता 8 के अंतर्गत निर्धारित पद्धति लागू करके तैयार किए गए हैं, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को संबंधी उद्योग मानक टिप्पणी (दिसंबर 2024) में निर्धारित है; उक्त टिप्पणी एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है तथा विनियम 34(2), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जिसे सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में है।

नेतृत्व संकेतक

- 1 वे माध्यम/प्लेटफॉर्म जहां संस्था के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी देखी जा सकती है (उपलब्ध होने पर वेब लिंक प्रदान करें)।
कंपनी अपने उत्पादों, सेवाओं और व्यावसायिक घटनाक्रमों की जानकारी तक पहुंच को सुगम बनाने हेतु हितधारकों को अनेक डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। प्रासंगिक अद्यतन, उत्पाद-संबंधी जानकारी, तकनीकी विनिर्देश और कॉरपोरेट घोषणाएं कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं।
वेबसाइट- <https://mazagondock.in/>
ट्विटर: <https://x.com/MazagonDockLtd?mx=2>
- 2 उपभोक्ताओं को उत्पादों और/अथवा सेवाओं के सुरक्षित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग की जानकारी तथा शिक्षा देने हेतु उठाए गए कदम।
कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं के संपूर्ण परिचालन जीवन-चक्र के दौरान उनके सुरक्षित, दक्ष और उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य में सहायता हेतु एमडीएल विस्तृत मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और उपयोगकर्ता नियमावलिओं के माध्यम से व्यापक परिचालन मार्गदर्शन प्रदान करता है। इन दस्तावेजों में निर्धारित परिचालन पद्धतियां, सुरक्षा अपेक्षाएं, रखरखाव प्रक्रियाएं और प्रबंधन दिशानिर्देश रेखांकित हैं।
- 3 अनिवार्य सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी जोखिम की जानकारी उपभोक्ताओं को देने हेतु उपलब्ध तंत्र।
कंपनी महत्वपूर्ण उत्पादों अथवा सेवाओं में किसी संभावित व्यवधान की जानकारी का समयबद्ध प्रसार सुनिश्चित करने के लिए संरचित हितधारक संचार तंत्र बनाए रखती है। ग्राहकों और संबंधित हितधारकों को आवधिक समीक्षा बैठकों तथा स्थापित संचार माध्यमों से जानकारी दी जाती है, जिनमें परियोजना प्रगति, संभावित जोखिमों और अपेक्षित सेवा प्रभावों पर चर्चा की जाती है।
- 4 क्या संस्था स्थानीय विधियों के अनुसार अधिदेशित जानकारी से अधिक उत्पाद जानकारी उत्पाद पर प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं) यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के महत्वपूर्ण परिचालन स्थानों अथवा समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि पर कोई सर्वेक्षण किया? (हां/नहीं) नहीं



स्वतंत्र प्रैक्टिशनर की प्रारूप युक्तिसंगत आश्वासन रिपोर्ट

प्रति

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल

कार्य का परिचय एवं उद्देश्य

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ("कंपनी") ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सेबी की आवश्यकताओं तथा इसके परिपत्रों "सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122 दिनांक 12 जुलाई, 2023 एवं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 दिनांक 20 दिसंबर, 2024 तथा मास्टर सर्कुलर संख्या एचओ/49/14/14(7)2025-सीएफडी-पीओडी2/1/3762/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026" के अनुसार, अपनी व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) में कंपनी के संधारणीयता / गैर-वित्तीय निष्पादन संबंधी प्रकटीकरणों का स्वतंत्र आश्वासन करने तथा बीआरएसआर रिपोर्ट – वित्तीय वर्ष 2025-26 पर युक्तिसंगत और सीमित आश्वासन विवरण प्रदान करने के लिए ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है।

आश्वासन के अभिप्रेत उपयोगकर्ता

यह आश्वासन विवरण केवल "माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (जिसे आगे एमडीएल कहा गया है) और उसके हितधारकों" के लिए, "एमडीएल" और "ब्यूरो वेरिटास" के बीच आश्वासन कार्य-संविदा के शासी संविदात्मक नियमों और शर्तों के अनुसार तैयार किया गया है। कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, इस आश्वासन रिपोर्ट के लिए हमारे द्वारा किए गए कार्य अथवा नीचे दिए गए अनुच्छेद में उल्लिखित हमारे निष्कर्षों के संबंध में "एमडीएल" के अलावा किसी अन्य पक्ष के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं।

कार्य का दायरा

हमने बीआरएसआर (कोर) मापदंडों के लिए युक्तिसंगत आश्वासन कार्य और गैर-मुख्य मापदंडों के लिए सीमित आश्वासन कार्य, आश्वासन कार्यों पर अंतरराष्ट्रीय मानक (आईएसएई) 3000 (संशोधित) के अनुसार तथा स्वतंत्र आश्वासन में वर्तमान सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर, संधारणीयता रिपोर्टों के बाह्य आश्वासन के लिए ब्यूरो वेरिटास की मानक प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया है।

इस रिपोर्टिंग अवधि के लिए विचार की गई रिपोर्टिंग सीमाएँ 'स्वतंत्र आधार' पर हैं।

हमारे स्वतंत्र युक्तिसंगत आश्वासन के भाग के रूप में, हमने रिपोर्ट की गई जानकारी को एकत्रित करने, विश्लेषण करने और उसकी समीक्षा करने के लिए प्रयुक्त अंतर्निहित रिपोर्टिंग प्रणालियों और प्रक्रियाओं की उपयुक्तता एवं सुदृढ़ता का आकलन किया। इस प्रक्रिया में हमने निम्नलिखित गतिविधियाँ कीं:

16 जुलाई 2026 को प्रधान कार्यालय और विनिर्माण इकाई के भौतिक स्थल दौरों के माध्यम से आकलन किया गया। ब्यूरो वेरिटास ने माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के मानव संसाधन, विधिक, संधारणीयता, वित्त एवं लेखा, अनुरक्षण एवं केंद्रीय अनुरक्षण प्रणाली, उत्पादन दल, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ईएचएस), क्रय, बिलिंग/ लेखा, यार्ड अनुरक्षण प्रकोष्ठ तथा अन्य संबंधित विभागों के कार्मिकों का साक्षात्कार लिया।

आश्वासन प्रक्रिया में ब्यूरो वेरिटास के अनुभवी आकलनकर्ताओं द्वारा आकलन किया जाना शामिल था। कंपनी ने रिपोर्ट किए गए बीआरएसआर विषयों पर निष्पादन संबंधी आँकड़े प्रस्तुत किए हैं। दौरा किए गए प्रत्येक स्थान से संबंधित आँकड़ों का ब्यूरो वेरिटास द्वारा ऊपर वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से आकलन किया गया।

विभिन्न बीआरएसआर प्रकटीकरणों से संबंधित आँकड़ों का आकलन किया गया। बाद में यह पुष्टि की गई कि इसी आकलित आँकड़े का उपयोग बीआरएसआर रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंतिम आँकड़े तैयार करने में किया गया।

संधारणीयता आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:

- चयनित संधारणीयता निष्पादन संकेतकों के लिए आँकड़ा संग्रहण और रिपोर्टिंग में प्रयुक्त विधियों का आकलन।
- ऐसी प्रणालियों का सत्यापन, जिसमें संबंधित आंतरिक नियंत्रण शामिल हैं।
- आँकड़ों के समर्थन में साक्ष्यों का नमूना आधार पर सत्यापन।
- परिभाषित रिपोर्टिंग अवधि के लिए संगठन द्वारा रिपोर्ट किए गए चयनित महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित नमूना आँकड़ों और सूचना का सत्यापन।
- चयनित संधारणीयता निष्पादन संकेतकों के आँकड़ों और रिपोर्ट के विवरणात्मक भाग में संबंधित लिखित टिप्पणियों के बीच संगति का आकलन।
- कंपनी द्वारा विधिक दायित्वों/प्रकटीकरणों का अनुपालन।
- आश्वासन के अधीन सामान्य तथा विषय-विशिष्ट प्रकटीकरण।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

रिपोर्टिंग मानदंड, रिपोर्टिंग अवधि, रिपोर्टिंग सीमा, आँकड़ों की निगरानी और मापन, तथा बीआरएसआर रिपोर्ट में सूचना की तैयारी एवं प्रस्तुति का चयन पूर्णतः कंपनी और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हम बीआरएसआर रिपोर्ट के प्रारूपण या तैयारी में शामिल नहीं हैं। हमारी एकमात्र जिम्मेदारी 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बीआरएसआर रिपोर्ट पर स्वतंत्र युक्तिसंगत और सीमित आश्वासन प्रदान करना है।



हमारे निष्कर्ष

ऊपर वर्णित हमारी कार्यप्रणाली और गतिविधियों के आधार पर,

- ऐसा कोई तथ्य हमारे संज्ञान में नहीं आया जिससे यह संकेत मिले कि बीआरएसआर प्रकटीकरण गलत हैं अथवा उनमें सम्मिलित सूचना निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है।
- हमारी राय में, कंपनी ने बीआरएसआर में संधारणीयता/ गैर-वित्तीय निष्पादन संबंधी प्रकटीकरणों के आँकड़ों के संग्रहण, समेकन और विश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ स्थापित की हैं।
- बीआरएसआर रिपोर्ट उसमें सम्मिलित कंपनी की गतिविधियों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करती है।
- सूचना स्पष्ट, सुबोध और सुलभ रूप में प्रस्तुत की गई है तथा पाठकों को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी और उसकी स्थिति के संबंध में संतुलित राय बनाने में सक्षम बनाती है।

सीमाएँ और अपवर्जन

हमारे कार्य के दायरे से निम्नलिखित से संबंधित सूचना का कोई भी आश्वासन अपवर्जित है:

- निर्धारित आश्वासन अवधि से बाहर की गतिविधियाँ।
- मतपरक कथन (माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा व्यक्त राय, विश्वास, उद्देश्य या भविष्य के आशय के कथन तथा भविष्य की प्रतिबद्धता के कथन)।
- रिपोर्ट में किए गए ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक दावे, जिनमें “भारत में पहली कंपनी”, “भारत में पहली बार”, “अपनी तरह का पहला”, आदि का दावा किया गया है।

हमारा आश्वासन दायरा और भौगोलिक सीमाओं से बाहर माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड की गतिविधियों और परिचालनों तथा कंपनी की किसी भी सहायक कंपनी या संयुक्त उपक्रम द्वारा किए गए परिचालनों तक विस्तारित नहीं है।

इस स्वतंत्र विवरण पर रिपोर्ट में मौजूद सभी त्रुटियों, चूकों या गलत बयानों का पता लगाने के लिए निर्भर नहीं किया जाना चाहिए।

स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और दक्षता का विवरण

ब्यूरो वेरिटास एक स्वतंत्र पेशेवर सेवा कंपनी है, जो गुणवत्ता, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व में विशेषज्ञता रखती है तथा इसका 198 वर्षों से अधिक का

इतिहास है। इसकी आश्वासन टीम के पास पर्यावरणीय, सामाजिक, नैतिक तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सूचना, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के आकलन में व्यापक अनुभव है।

ब्यूरो वेरिटास एक प्रमाणित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली संचालित करता है, जो आईएसओ 9001:2015 की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है और तदनुसार नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों तथा लागू विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित एक व्यापक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली बनाए रखता है।

ब्यूरो वेरिटास ने एक आचार संहिता लागू की है और उसका पालन करता है, जो अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण एजेंसियों के महासंघ (आईएफआईए) की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसे पूरे व्यवसाय में लागू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके कर्मचारी अपने दैनिक व्यावसायिक कार्यकलापों में सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, पेशेवर दक्षता और उचित सावधानी, गोपनीयता, पेशेवर आचरण तथा उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखें।

इस कार्य के लिए आश्वासन टीम की माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ ब्यूरो वेरिटास की किसी अन्य परियोजना में कोई संलिप्तता नहीं है।

दक्षता

आश्वासन टीम के पास पर्यावरणीय, सामाजिक, नैतिक तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सूचना, प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर आश्वासन कार्य करने का व्यापक अनुभव है तथा संधारणीयता रिपोर्टों के आश्वासन के लिए ब्यूरो वेरिटास की मानक कार्यप्रणाली की उत्कृष्ट समझ है।

हमारी रिपोर्ट के उपयोग पर प्रतिबंध

हमारी युक्तिसंगत आश्वासन रिपोर्ट कंपनी के अनुरोध पर कंपनी के निदेशक मंडल को संबोधित करते हुए केवल कंपनी को उसकी संधारणीयता निष्पादन और गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सहायता करने के लिए तैयार की गई है। अतः कंपनी के अलावा हम किसी अन्य के प्रति कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे प्रदेयों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या हमारे प्रदेयों के अभिप्रेत प्राप्तकर्ताओं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना, फर्म किसी अन्य उद्देश्य के लिए या ऐसे किसी अन्य पक्ष के प्रति, जिसे हमारे प्रदेय दिखाए गए हों अथवा जिसके हाथ में वे पहुँच जाएँ, देखभाल के किसी दायित्व या दायित्व को न तो स्वीकार करती है और न ही मानती है।



BUREAU
VERITAS

हस्ताक्षरित
सेथिल कुमार. वी
मुख्य आश्वासनकर्ता
ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
बेंगलुरु, भारत
दिनांक: 28/07/2026

हस्ताक्षरित
मुंजी रामा मोहन राव
तकनीकी समीक्षक
ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
हैदराबाद, भारत
दिनांक: 30/07/2026



अनुलग्नक 1

निम्नलिखित 'बीआरएसआर-मुख्य विशेषताओं' में शामिल 9 संकेतकों के लिए युक्तिसंगत स्तर का आश्वासन प्रदान किया गया है।

क्रम सं.	विशेषताएँ	पैरामीटर	संरेखण / क्रॉस संदर्भ	एमडीएल की बीआरएसआर रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया आँकड़ा
1	ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) पदचिह्न	कुल स्कोप 1 उत्सर्जन	आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 6, प्रश्न 7	270.56
		कुल स्कोप 2 उत्सर्जन		6367.01
		प्रति रुपये कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता		0.00000005
		क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपये कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता		0.0000011
2	जल पदचिह्न	कुल जल खपत (केएल में)	आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 6, प्रश्न 3	66497.8
		प्रति रुपये कारोबार पर जल तीव्रता		0.00000052
		क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपये कारोबार पर जल तीव्रता		0.000011
3	ऊर्जा पदचिह्न	नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत	आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 6, प्रश्न 1	27469619.93
		कुल ऊर्जा खपत		63212218.44
		प्रति रुपये कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता		0.00049
		क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपये कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता		0.010
		उत्पन्न या प्रपट किए गए ग्रीन क्रेडिट की संख्या।		ए) सूचीबद्ध इकाई द्वारा: 6755608 बी) मूल्य श्रृंखला भागीदार: शून्य



क्रम सं.	विशेषताएँ	पैरामीटर	संरेखण / क्रॉस संदर्भ	एमडीएल की बीआरएसआर रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया ऑकड़ा
4	परिपत्रता को अपनाना - इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण	प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 6, प्रश्न 9	134
		ई-अपशिष्ट (बी)		-
		जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (सी)		0.061
		निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (डी)		7535
		बैटरी अपशिष्ट (ई)		7.02
		रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)		-
		अन्य खतरनाक अपशिष्ट (तेल-सिक्त सूती अपशिष्ट, डीजी फिल्टर, पेंट के डिब्बे, रासायनिक डिब्बे, पेंट अवशेष, तेल कीचड़, डीजी चिमनी कालिख, कूलेंट तेल और प्रयुक्त तेल)		27.46
		उत्पन्न कुल खतरनाक अपशिष्ट (.टन में)		7703.54
		उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच) (मे.टन में)	आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 6, प्रश्न 9	1. लकड़ी का अपशिष्ट (स्क्रेप, लकड़ी के लट्टे) - 86.495 2. इस्पात अपशिष्ट (एमएस स्क्रेप, एसएस स्क्रेप) - 2782.02 3. एल्युमिनियम अपशिष्ट (स्क्रेप, केबल अपशिष्ट) - 47.325 4. तांबा अपशिष्ट (स्क्रेप, केबल स्क्रेप) - 62.17 5. पीतल स्क्रेप - 5 6. क्यू-नी स्क्रेप - 0 7. कूड़ा और अपशिष्ट (प्लास्टिक अपशिष्ट को छोड़कर) - 787.93 कुल गैर-खतरनाक = 3770.94 मे.टन
		उत्पन्न कुल गैर-खतरनाक अपशिष्ट (टन में)		3770.94
		उत्पन्न कुल अपशिष्ट (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच) (टन में)		11474.48
		अपशिष्ट तीव्रता	आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 6, प्रश्न 9	0.000000089 0.0000018
		उत्पन्न प्रत्येक श्रेणी के अपशिष्ट में से पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट		449.98 MT
		उत्पन्न प्रत्येक श्रेणी के अपशिष्ट में से निपटान की विधि के अनुसार निपटाए गए कुल अपशिष्ट		11024.5 मे.टन (अन्य निपटान कार्य)



क्रम सं.	विशेषताएँ	पैरामीटर	संरेखण / क्रॉस संदर्भ	एमडीएल की बीआरएसआर रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया आँकड़ा
5	कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा में वृद्धि	कर्मचारियों और कामगारों के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय – कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में वहन की गई लागत कर्मचारियों और कामगारों से संबंधित सुरक्षा घटनाओं का विवरण (कंपनी के निर्माण स्थलों पर संविदा कार्यबल आदि सहित)	आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 3, प्रश्न 1(सी) आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 3, प्रश्न 11	0.53% कार्य-समय हानि चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति-कार्य घंटे) कर्मचारी: 0.00 कामगार: 0.13 कुल दर्ज करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें कर्मचारी: 0.00 कामगार: 13 मृत्यु की संख्या कर्मचारी: 0.00 कामगार: 1.00 उच्च गंभीरता वाली कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर) कर्मचारी: 0 कामगार: 0
6	व्यवसाय में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना	महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी, भुगतान की गई मजदूरी के प्रतिशत के रूप में पीओएसएच पर शिकायतें	आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 5, प्रश्न 3(बी) आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 5, प्रश्न 7	4.22% शिकायत (निस्तारित): 01 महिला कर्मचारियों/कामगारों के प्रतिशत के रूप में पीओएसएच पर शिकायतें: 0.41 शिकायत सही पाई गई: 0
7	समावेशी विकास को सक्षम बनाना	निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त इनपुट सामग्री, कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में – एमएसएमई/लघु उत्पादकों से तथा भारत के भीतर से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त छोटे शहरों में रोजगार सृजन – कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में छोटे शहरों में नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/संविदा पर) को भुगतान की गई मजदूरी	आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 8, प्रश्न 4 आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 8, प्रश्न 5	एमएसएमई/लघु उत्पादकों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त: 33.53 % भारत के भीतर से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त: 64.83% ग्रामीण: 0 अर्ध-शहरी: 0 शहरी: 0 महानगरीय: 100%



क्रम सं.	विशेषताएँ	पैरामीटर	संरेखण / क्रॉस संदर्भ	एमडीएल की बीआरएसआर रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया आँकड़ा
8	ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवहार में निष्पक्षता	ग्राहकों के आँकड़ों की हानि/ उल्लंघन से संबंधित घटनाएँ, कुल आँकड़ा उल्लंघनों या साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिशत के रूप में देय खातों के दिनों की संख्या	आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 9, प्रश्न 7 आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 1, प्रश्न 8	शून्य 10 दिन
9	व्यवसाय में पारदर्शिता	ट्रेडिंग हाउसों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद एवं बिक्री का संकेन्द्रण संबंधित पक्षों के साथ ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश	आवश्यक संकेतकों का सिद्धांत 1, प्रश्न 9	खरीद का संकेन्द्रण (ए से सी तक) शून्य है बिक्री का संकेन्द्रण (ए से सी तक) शून्य है संबंधित पक्ष लेन-देन (आरपीटी) का हिस्सा (ए एवं सी) शून्य है बी. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/ कुल बिक्री) - 86.27% डी. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/ कुल किए गए निवेश) -100% (संदर्भ: संबंधित पक्ष प्रकटीकरण पर वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 45)।